उन्नति

वर्ष : 04 अंक : 02 : जुलाई–सितंबर 2026 (त्रैमासिक पत्रिका)

राजभाषा विशेषांक

“राजभाषा से राष्ट्र निर्माण”

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ:। निर्विघ्नं' कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

गृह पत्रिका - उन्नति

राजभाषा विशेषांक

वर्ष:04 अंक:02 : जुलाई– सितंबर, 2026 (त्रैमासिक)

मुख्य संरक्षक
श्री प्रभात त्यागी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री सी. रमेश राव, मुख्य महाप्रबंधक

मार्गदर्शक
श्री सपन बरूआ, महाप्रबंधक

मुख्य संपादक
श्रीमती अर्चना मेहरा, मुख्य प्रबंधक

विभागीय संपादन सहयोग
श्री डेविड रांगते, महाप्रबंधक
श्री रतिकांत जेना, महाप्रबंधक
श्रीमती अन्नु भोगल, महाप्रबंधक
श्री रजनीश बनकर, उपमहाप्रबंधक
श्री सुरेंद्र कुमार, उप प्रबंधक

केवल आंतरिक वितरण के लिए
पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि निगम की उनसे सहमति हो। रचनाओं की मौलिकता के लिए संबंधित लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

पत्राचार का पता
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर `1 व 2`, उत्तरी टावर, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

फोन: 011-22054392/94/96 टोल फ्री नं.1800110396
ई-मेल: nsfdc.hindideptt@gmail.com वेबसाइट: nsfdc.nic.in

विषय सूची

क्रम	रचना/आलेख	रचनाकार	पृष्ठ
1	भारत का संविधान की उद्देशिका		2
2	वंदे मातरम		3
3	सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री का संदेश		5
4	सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री का संदेश		6
5	सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री का संदेश		7
6	सचिव (राजभाषा) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग संदेश		8
7	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार का संदेश		9
8	मुख्य संरक्षक का संदेश		10
9	संरक्षक का उद्बोधन		11
10	मार्गदर्शक की कलम से		12
11	संपादकीय		13
12	एनएसएफडीसी : मिशन, विजन और उद्देश्य		15
	भाग -1 : राजभाषा से राष्ट्र निर्माण		
13	भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी	श्री राकेश कुमार मित्तल	16
14	राष्ट्रीय एकता का सूत्र राजभाषा	श्री सुभाष चंद	19
15	राजभाषा नियम, 1976 और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग	श्री डेविड रांगते	22
16	हिंदी : जनभाषा से प्रशासन और राष्ट्र-निर्माण की भाषा तक	श्री अतुल खत्री	25
17	राजभाषा से राष्ट्र निर्माण: भाषा, प्रशासन और विकास	श्रीमती अर्चना मेहरा	29
18	सरकारी कामकाज की भाषा में सरलता	श्री संदीप कुमार	34
	भाग - 2 : राजभाषा और एआई एवं डिजिटलीकरण		
19	एआई के दौर में राजभाषा अधिकारी की बदलती भूमिका	श्री विनय सिंह	36
20	साइबर स्पेस और ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में राजभाषा	श्री हिमांशु बरेजा	40
21	डिजिटल युग में हिंदी : कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा प्रौद्योगिकी की नई संभावनाएँ	श्रीमती अनामिका मेहरा	44
22	ई-ऑफिस में राजभाषा का प्रयोग	श्री ललित फुलारा,	47
	भाग - 3 : एनएसएफडीसी सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता		
23	एनएसएफडीसी के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज: एक नए अवसर की शुरुआत	श्रीमती अन्नु भोगल	50
24	सामाजिक न्याय से आत्मनिर्भरता की ओर	श्री रजनीश बनकर	52
25	एनएसएफडीसी की योजनाएं और हिंदी की भूमिका: अंत्योदय तक जनकल्याण का सशक्त सेतु	श्री महेश चन्द	55
26	ऋण वितरण से आगे	श्री चंद्र प्रकाश	58
27	पर्यावरण संरक्षण : एक पुनीत कार्य	श्री नरेंद्र कुमार	62
28	राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य और साहित्यकारों की भूमिका	श्रीमती पूनम सुभाष	63
29	राजभाषा से राष्ट्र निर्माण - 10 संकल्प	श्री सुरेंद्र कुमार	67
30	एनएसएफडीसी की ऋण योजनाएं		68
31	एनएसएफडीसी का पता		

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यशामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 1।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 2 ।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।। 3।।

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम्।। 4।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। 5।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 6।।

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को दिनांक 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सौंपते हुए डॉ० बी. आर. अम्बेडकर

''यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो। क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है।''

. डॉ० बी. आर. अम्बेडकर

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
DR. VIRENDRA KUMAR

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
**MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA**

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा गृह पत्रिका **'राजभाषा से राष्ट्र निर्माण'** का राजभाषा विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

'राजभाषा से राष्ट्र निर्माण' पत्रिका न केवल निगम की योजनाओं, उपलब्धियों एवं गतिविधियों का सशक्त दस्तावेज है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा अनुसूचित जाति के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी प्रभावी रूप से उजागर करती है । इस पत्रिका के माध्यम से लाभार्थियों की प्रेरक कहानियों, नवाचारों और सकारात्मक बदलावों को साझा कर समाज में जागरूकता एवं आशा का संचार किया जा रहा है।

हिंदी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता एवं प्रशासनिक दक्षता की संवाहक भाषा है । सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग से न केवल आम नागरिकों के साथ संवाद सुदृढ़ होता है, बल्कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता भी बढ़ती है । इस दिशा में राजभाषा पत्रिका का योगदान सराहनीय है।

मैं पत्रिका के संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह पत्रिका **राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की दिशा में सार्थक भूमिका निभाएगी तथा राष्ट्र निर्माण में** भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी । साथ ही, यह पत्रिका पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी एवं उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं पत्रिका के सफल एवं सार्थक प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

कार्यालय : 202, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902, E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्स: 011-23381902, ई-मेल: min-sje@nic.in

रामदास आठवले
RAMDAS ATHAWALE

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा "राजभाषा से राष्ट्र निर्माण" की दूरदर्शी थीम पर विशेषांक निकालने का निर्णय अत्यंत अभिनव और प्रशंसनीय है।

सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ तब सिद्ध होता है जब विकास की नीतियाँ और योजनाएँ सरल एवं बोधगम्य भाषा में जनता तक पहुँचें। अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण में जुटी यह संस्था यदि राजभाषा को अपने दैनंदिन कामकाज का माध्यम बनाती है, तो इससे समाज के लक्षित वर्गों के साथ संवाद और भी प्रगाढ़ होगा। यह विशेषांक राजभाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

मैं इस विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए निगम प्रबंधन और संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ।

(रामदास अठावले)

सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास, सबका प्रयास

Room No. 7501, 7th Floor, Zone 5, GPOA, Block-3, Netaji Nagar, New Delhi-110023
Tel. : 011-26111669, 26113956

बी. एल. वर्मा

राज्य मंत्री
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

शुभकामना संदेश

25 अगस्त, 2026

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा सितंबर, 2026 में प्रकाशित किए जाने वाले **'राजभाषा विशेषांक'** के प्रकाशन के अवसर पर मुझे अत्यंत हर्ष एवं प्रसन्नता हो रही है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए निगम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

हिंदी हमारी राजभाषा होने के साथ-साथ देश की एकता, विविधता एवं सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करने वाली सशक्त भाषा है। शासकीय कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा राजभाषा के प्रति जन-जागरूकता एवं गौरव की भावना को सुदृढ़ करने में ऐसे विशेषांकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे विश्वास है कि यह **'राजभाषा विशेषांक'** हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा कार्यालयीन कार्यों में इसके प्रभावी प्रयोग को नई गति प्रदान करेगा।

इस सार्थक एवं सराहनीय प्रयास के लिए मेरी **हार्दिक शुभकामनाएँ।** मेरी कामना है कि यह विशेषांक ज्ञान, विचार एवं सृजनशीलता का उत्कृष्ट माध्यम बनते हुए राजभाषा हिंदी के गौरव एवं प्रतिष्ठा को और अधिक समृद्ध करे।

(बी.एल.वर्मा)

सेवा में,
मुख्य महाप्रबंधक,
(एन.एस.एफ.डी.सी.)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, 14 वीं मंजिल स्कोप मीनार, उत्तरी टॉवर,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

कार्यालय : कृषि भवन, डॉ० आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23070550, 23070651
कार्यालय : 623, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डॉ० आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23072192, 23072193

सुधांश पंत, भा.प्र.से.
सचिव
Sudhansh Pant, IAS
Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Social Justice & Empowerment

संदेश

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा सितंबर 2026 में गृह पत्रिका 'उननति' के राजभाषा विशेषांक का प्रकाशन अत्यंत हर्ष का विषय है।

"राजभाषा से राष्ट्र निर्माण" का विषय आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूर्ण हो सकता है जब हम अपनी भाषाई संपदा पर गर्व करें और प्रशासनिक कार्यों में राजभाषा का सहर्ष अंगीकार करें। यह विशेषांक निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति निष्ठा को और बल प्रदान करेगा।

इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए संपूर्ण एनएसएफडीसी परिवार को मेरी शुभकामनाएं।

सुधांश पंत

(सुधांश पंत)
सचिव,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

Room No. 8202, 8th Floor, Zone 2, GPOA, Block-3, Netaji Nagar, New Delhi-110023
Tel : 011-26115006, 26119184, E-mail : secywel@nic.in

देबोलीना ठाकुर
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

Debolina Thakur
Additional Secretary & Financial Advisor

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110 001

संदेश

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) द्वारा राजभाषा के विकास के उद्देश्य से "राजभाषा से राष्ट्र निर्माण" थीम पर गृह पत्रिका – उन्नति के राजभाषा विशेषांक का संपादन एवं प्रकाशन एक प्रशंसनीय प्रयास है।

राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्य एक संस्कृति का निर्माण करता है। जब विभाग के सभी स्तरों पर पत्राचार और फाइल वर्क सहज हिंदी में होता है, तो कार्यकुशलता और पारदर्शिता दोनों में वृद्धि होती है। राजभाषा के विशेषांक के रूप में निगम की पहल प्रेरणादायी सिद्ध होगी।

इस विशेषांक के भव्य एवं सफल प्रकाशन के लिए पूरी संपादकीय समिति को मेरी हार्दिक बधाई।

डी. ठाकुर

(देबोलीना ठाकुर)
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार

CIN: U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice and Empowerment)

संदेश

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) द्वारा **"राजभाषा से राष्ट्र निर्माण"** विषय पर प्रकाशित यह प्रथम विशेषांक, निगम के भाषाई सरोकारों और राष्ट्रीय संकल्प का एक जीवंत मूर्तरूप है।

आज संस्थान के सुचारू संचालन, दैनिक प्रशासनिक कार्यों और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में राजभाषा हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। यह विशेषांक केवल लेखों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे अधिकारियों व कर्मचारियों के मौलिक चिंतन, बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता का एक स्पष्ट दर्पण है। जन-जन की भाषा और राजभाषा के प्रयोग से हमारे शासकीय कार्यों में न केवल अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता आती है, बल्कि आत्मीयता का भाव भी सुदृढ़ होता है।

यह पावन अवसर हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक दृढ़ करने की प्रेरणा देता है। राजभाषा उत्सव के इस उल्लासपूर्ण माहौल में, मैं इस विशेषांक की रचना में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले सभी लेखकों, रचनाकारों और संपादकीय मंडल को हृदय से साधुवाद देता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विशेषांक पाठकों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा और संस्था में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को एक नई गति देगा। मैं इस विशेषांक के अत्यंत सफल प्रकाशन की मंगलमयी कामना करता हूँ।

(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

27.08.2026

पंजीकृत एवं प्र कार्यालय: 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, SCOPE Minar, Core-1&2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
फोन/ Tel.: 011-22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax: 011-22054395, 22054349
ई-मेल/ E-mail: support-nsfdc@nic.in • वेबसाइट/ Website : www.nsfdc.nic.in

CIN: U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice and Empowerment)

संदेश

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) द्वारा सितंबर 2026 में "राजभाषा से राष्ट्र निर्माण" थीम पर गृह पत्रिका 'उन्नति' का राजभाषा विशेषांक प्रकाशित किए जाने की सूचना से अत्यंत प्रसन्नता हुई।

एनएसएफडीसी का यह अभिनव प्रयास न केवल हमारी राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार में एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि मातृभाषा के प्रति निष्ठा को भी सुदृढ़ करेगा। इस प्रकार के सृजनात्मक प्रकाशन कर्मचारियों में नव-ऊर्जा और उत्साह का संचार करने के साथ-साथ अन्य कार्यालयों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विशेषांक अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल होगा। इस भव्य और प्रभावकारी प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ और संपूर्ण टीम को साधुवाद!"

इस गृह पत्रिका 'उन्नति' के इस राजभाषा विशेषांक के सफल और प्रभावकारी प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

(सी. रमेश राव)
मुख्य महाप्रबंधक

27.08.2026

पंजीकृत एवं प्र कार्यालय: 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, SCOPE Minar, Core-1&2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
फोन/ Tel.: 011-22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax: 011-22054395, 22054349
ई-मेल/ E-mail: support-nsfdc@nic.in • वेबसाइट/ Website : www.nsfdc.nic.in

CIN: U93000DL1989NPL034967

अनुविनि nsfdc

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice and Empowerment)

शुभकामना संदेश

गृह पत्रिका 'उन्नति' के राजभाषा विशेषांक **'राजभाषा से राष्ट्र निर्माण'** के प्रकाशन पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों और लोगों को जोड़ने वाली सशक्त कड़ी है। सरल और सहज हिंदी में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक आसानी से पहुँचाई जा सकती है।

एनएसएफडीसी का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में हिंदी और भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजभाषा का प्रभावी प्रयोग प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाता है।

मैं इस विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह अंक राजभाषा के प्रति नई सोच और उत्साह पैदा करेगा।

(सपन बरुआ)

महाप्रबंधक, एनएसएफडीसी

पंजीकृत एवं प्र कार्यालय: 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, SCOPE Minar, Core-1&2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
फोन/ Tel.: 011-22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax: 011-22054395, 22054349
ई-मेल/ E-mail: support-nsfdc@nic.in • वेबसाइट/ Website : www.nsfdc.nic.in

संपादकीय

श्रीमती अर्चना मेहरा
मुख्य प्रबंधक

राजभाषा से राष्ट्र निर्माण : संवाद, विकास और आत्मनिर्भरता की ओर

"भाषा केवल विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों को समाज से जोड़ने और समाज को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है।"

भारत की शक्ति उसकी विविधता में है। अनेक भाषाएँ, बोलियाँ, संस्कृतियाँ और परंपराएँ मिलकर हमारी राष्ट्रीय पहचान को समृद्ध बनाती हैं। ऐसी विविधता वाले देश में एक-दूसरे से जुड़ने, विचारों को साझा करने और प्रशासन को जनसामान्य के निकट ले जाने में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। भाषा जितनी सहज और स्पष्ट होगी, संवाद उतना ही प्रभावी होगा और संवाद जितना व्यापक होगा, विकास में जनभागीदारी उतनी ही मजबूत होगी।

राजभाषा हिंदी इसी व्यापक भावना से जुड़ी है। संविधान ने संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान देते हुए उसके विकास की दिशा निर्धारित की है और साथ ही भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के सम्मान को भी महत्त्व दिया है। इसलिए राजभाषा हिंदी का उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक सहज, स्पष्ट और जनोन्मुख बनाना भी है। इन्हीं विचारों को केंद्र में रखते हुए *उन्नति* का यह विशेषांक '**राजभाषा से राष्ट्र निर्माण**' विषय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अंक में राजभाषा के संवैधानिक आधार से लेकर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग, बदलती तकनीक में हिंदी की संभावनाओं तथा सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भाषा की भूमिका तक अनेक महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया गया है।

विशेषांक की शुरुआत **भारतीय संविधान की उद्देशिका और 'वंदे मातरम्'** से होती है, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्वर को सामने रखते हैं। इसके साथ माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राज्य मंत्रियों, सचिव (राजभाषा), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा निगम के मुख्य संरक्षक, संरक्षक और मार्गदर्शक के संदेश इस अंक को संस्थागत दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करते हैं।

'**भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी : अनुच्छेद 343 से 351 तक**' संविधान में हिंदी और भारतीय भाषाओं से संबंधित व्यवस्था को समझने का आधार प्रस्तुत करता है। '**राष्ट्रीय एकता का सूत्र राजभाषा**' हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में भूमिका और 'अनेकता में एकता' की भावना को रेखांकित करता है। '**राजभाषा नियम, 1976 और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग**' राजभाषा कार्यान्वयन के नियमों और उनके व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालता है। वहीं '**हिंदी : जनभाषा से प्रशासन और राष्ट्र-निर्माण की भाषा तक**' हिंदी की सामाजिक एवं प्रशासनिक यात्रा को सामने लाता है। '**राजभाषा से राष्ट्र निर्माण : भाषा, प्रशासन और विकास**' भाषा को प्रशासन तथा विकास की व्यापक प्रक्रिया से जोड़ता है। '**सरकारी कामकाज की भाषा में सरलता : कठिन हिंदी से सहज हिंदी की ओर**' इस बात पर बल देता है कि सरकारी भाषा ऐसी हो, जो स्पष्ट, सरल और आसानी से समझी जा सके।

आज तकनीक हमारे कार्य और संवाद दोनों को तेजी से बदल रही है। विशेषांक के दूसरे भाग में '**एआई के दौर में राजभाषा अधिकारी की बदलती भूमिका**' राजभाषा कार्य में तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव को सामने लाता है। '**ई-ऑफिस में राजभाषा का प्रयोग**' डिजिटल कार्यालय व्यवस्था में हिंदी के उपयोग की आवश्यकता और

संभावनाओं पर केंद्रित है। '**साइबर स्पेस और ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में राजभाषा**' हिंदी के डिजिटल और ज्ञान-विज्ञान संबंधी विस्तार की संभावनाओं को रेखांकित करता है। इसी क्रम में '**डिजिटल युग में हिंदी : कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा प्रौद्योगिकी की नई संभावनाएँ**' हिंदी और आधुनिक तकनीक के बढ़ते संबंध तथा भविष्य की संभावनाओं पर विचार प्रस्तुत करता है।

विशेषांक का तीसरा भाग सीधे **एनएसएफडीसी के सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के मिशन** से जुड़ता है। '**एनएसएफडीसी के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज : एक नए अवसर की शुरुआत**' सामाजिक क्षेत्र में नए वित्तीय अवसरों की ओर संकेत करता है। '**सामाजिक न्याय से आत्मनिर्भरता की ओर**' निगम के मूल उद्देश्य और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा को रेखांकित करता है। '**एनएसएफडीसी की योजनाएँ और हिंदी की भूमिका : अंत्योदय तक जनकल्याण का सशक्त सेतु**' यह बताता है कि योजनाओं की जानकारी को सरल और सुबोध भाषा में लोगों तक पहुँचाना उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कितना आवश्यक है। '**ऋण वितरण से आगे**' आर्थिक सहायता के व्यापक सामाजिक प्रभाव और लाभार्थियों के जीवन में होने वाले परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

विशेषांक को व्यापक सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए '**पर्यावरण संरक्षण : एक पुनीत कार्य**' प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। '**राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य और साहित्यकारों की भूमिका**' साहित्य की सामाजिक चेतना और राष्ट्र के वैचारिक निर्माण में उसके योगदान को सामने लाता है। वहीं '**राजभाषा से राष्ट्र निर्माण—10 संकल्प**' राजभाषा के प्रति व्यक्तिगत और संस्थागत प्रतिबद्धता को संकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है।

इन विविध आलेखों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि राजभाषा का दायरा केवल कार्यालयीन कार्यों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध **संविधान से है, प्रशासन से है, तकनीक से है, साहित्य से है, सामाजिक न्याय से है और सबसे बढ़कर उस नागरिक से है, जिसके लिए शासन और विकास की पूरी व्यवस्था कार्य करती है।** आज आवश्यकता ऐसी हिंदी की है जो **सरल हो, सक्षम हो और समय के साथ चलने वाली हो**; जो कार्यालय में कार्य को सुगम बनाए, डिजिटल माध्यमों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराए और समाज के उन वर्गों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाए, जिनके सशक्तीकरण के लिए वे बनाई गई हैं।

एनएसएफडीसी के संदर्भ में यह विचार और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। किसी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण या वित्तीय सहायता के वितरण से नहीं मापी जाती। उसकी वास्तविक सफलता तब दिखाई देती है, जब लाभार्थी योजना को समझे, उसका लाभ उठाए और उस सहायता के माध्यम से अपने जीवन में स्थायी सुधार ला सके। इस पूरी प्रक्रिया में **सही सूचना और सहज भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी** बनती है। इसलिए राजभाषा का प्रगतिशील प्रयोग केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि **बेहतर जनसेवा की दिशा में एक सार्थक प्रयास** है। हमें ऐसी भाषा-व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें तकनीक की गति, प्रशासन की स्पष्टता और जनसामान्य की समझ—तीनों का संतुलन हो।

उन्नति का यह विशेषांक इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है। इसमें संविधान की दृष्टि है, राजभाषा का दायित्व है, तकनीक की नई संभावनाएँ हैं, साहित्य की संवेदना है और सामाजिक न्याय से आत्मनिर्भरता तक की विकास-यात्रा है। हमारा विश्वास है कि **जब भाषा सरल होगी, जानकारी सुलभ होगी; जब जानकारी सुलभ होगी, अवसरों तक पहुँच बढ़ेगी; और जब अवसर अधिक लोगों तक पहुँचेंगे, तब सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की राह और मजबूत होगी।** इसी विश्वास के साथ—

शब्दों से संवाद → संवाद से सहभागिता → सहभागिता से सशक्तीकरण → सशक्तीकरण से आत्मनिर्भरता → आत्मनिर्भरता से राष्ट्र निर्माण

उन्नति का यह विशेषांक पाठकों के लिए विचार और प्रेरणा का माध्यम बने तथा राजभाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नए उत्साह और नई दिशा प्रदान करे—इसी शुभकामना के साथ आपके समक्ष गृह पत्रिका 'उन्नति' है।

सादर,

एनएसएफडीसी मिशन, विजन और लक्ष्य

1.1 **Vision**

To be the leading catalyst in systematic reduction of poverty through socio-economic development of eligible Scheduled Castes, working in an efficient, responsive and collaborative manner with channelizing agencies and other development partners.

1-1 **विजन**

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

1.2 **Mission**

Promote prosperity among Scheduled Castes by improving flow of financial assistance and through skill development & other innovative initiatives.

1-2 **लक्ष्य**

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.3 **Objectives**

(i) Identification of trades & other economic activities of importance to Scheduled Castes population.

(ii) Upgrapdation of skills & processes used by persons belonging to Scheduled Castes.

(iii) Promotion of small, cottage & village industries.

(iv) Financing of pilot programmes for upliftment and economic welfare of persons belonging to Scheduled Castes.

(v) Improvement in flow of financial assistance to persons belonging to Scheduled Castes for their economic well-being.

(vi) Assistance to target group in setting up their projects by way of project preparation, training and financial assistance.

(vii) Extending loans to eligible students belonging to Scheduled Castes for pursuing full-time professional and technical courses in India and abroad.

(viii) Extending loans to eligible youth to enhance their skill & employability by pursuing vocational education & training courses in India.

1.3 **उद्देश्य**

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए सहयोग प्रदान करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

(viii) पात्र युवाओं को भारत में वोकशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी
(अनुच्छेद 343 से 351 तक)

श्री राकेश कुमार मित्तल
पूर्व उप महाप्रबंधक

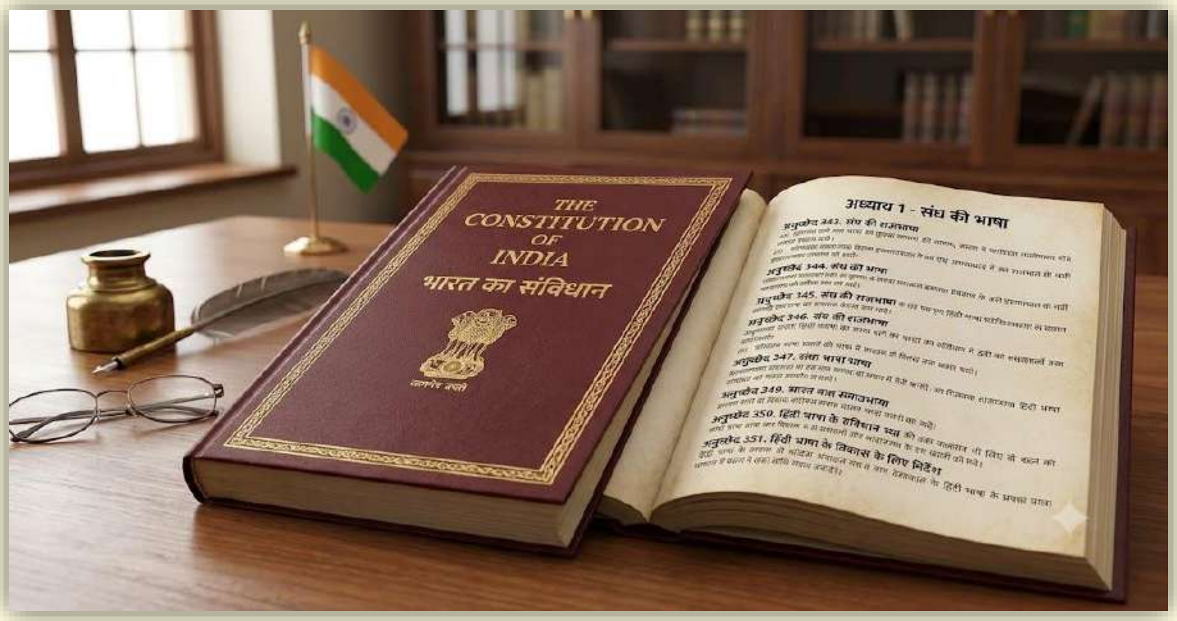

प्रशासनिक सुगमता, सामाजिक न्याय और समावेशी संघवाद का संवैधानिक मार्ग

संविधान केवल शासन संचालन की विधिक नियमावली नहीं, बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का घोषणा पत्र होता है। भारतीय संविधान सभा में भाषा का प्रश्न केवल यह तय करने तक सीमित नहीं था कि फाइलों और पत्राचार में किस लिपि का प्रयोग होगा। इसका मूल सरोकार यह निर्धारित करना था कि स्वतंत्र भारत में राज्यसत्ता और सामान्य नागरिक के बीच संवाद का माध्यम क्या होगा। संविधान निर्माताओं का यह दृढ़ विश्वास था कि यदि शासन की नीतियां और नियम विदेशी या क्लिष्ट भाषा के आवरण में बंद रहे, तो स्वतंत्रता और स्वराज का वास्तविक लाभ आम जनमानस तक कभी नहीं पहुँच सकेगा।

> *"यदि स्वराज्य का अर्थ जनता का स्वराज्य है, तो उसकी भाषा केवल वही हो सकती है जिसे आम जनता आसानी से समझ सके।"* — **महात्मा गांधी**

इसी लोकतांत्रिक चेतना के आधार पर भारत का संविधान के **भाग XVII** में **अनुच्छेद 343 से 351** तक राजभाषा संबंधी एक संतुलित, व्यावहारिक और क्रमिक भाषाई व्यवस्था का निर्माण किया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य स्पष्ट होना आवश्यक है कि संविधान हिंदी को "राष्ट्रभाषा" नहीं, बल्कि **"संघ की राजभाषा"** घोषित करता है। यह व्यवस्था किसी भाषा-विशेष का वर्चस्व स्थापित करने के बजाय प्रशासनिक दक्षता, भाषाई विविधता के संरक्षण और नागरिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है।

संवैधानिक ढाँचा : अनुच्छेद 343 से 351 का विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

संविधान के ये नौ अनुच्छेद संघ, राज्यों, न्यायपालिका और नागरिकों के भाषाई अधिकारों के बीच एक अद्वितीय संतुलन स्थापित करते हैं:

- **अनुच्छेद 343 (संघ की राजभाषा):**

  अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी और शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रशासनिक निरंतरता और गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों की व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रारंभिक 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई, जिसे बाद में संसद द्वारा 'राजभाषा अधिनियम, 1963' के माध्यम से निरंतरता प्रदान की गई।

- **अनुच्छेद 344 (प्रगति और संतुलन का संस्थागत तंत्र):**

  राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन और संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रगति की समीक्षा का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हिंदी का विकास देश की औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति तथा गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के न्यायसंगत हितों की रक्षा के साथ हो।

- **अनुच्छेद 345, 346 और 347 (राज्यों की स्वायत्तता और अंतर-राज्यीय संवाद):**

  राज्यों को अपने कामकाज के लिए राज्य में प्रचलित एक या अधिक भाषाओं अथवा हिंदी को अपनाने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 346 केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संवाद को सुगम बनाता है, जबकि अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यकों की मांगों को राज्य स्तर पर मान्यता देकर भाषाई संघवाद को मजबूत करता है।

- **अनुच्छेद 348 एवं 349 (विधि और न्यायपालिका की भाषा):**

  उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विधायी अधिनियमों के लिए भाषा का निर्धारण किया गया ताकि न्याय और कानून की व्याख्या में विधिक सटीकता और प्रामाणिकता बनी रहे।

- **अनुच्छेद 350, 350-क और 350-ख (नागरिक अधिकार और विविधता संरक्षण):**

  अनुच्छेद 350 नागरिक सशक्तिकरण की रीढ़ है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यथा निवारण (Grievance Redressal) के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में आवेदन देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 350-क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और 350-ख भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयुक्त की व्यवस्था करता है।

- **अनुच्छेद 351 (सामासिक संस्कृति का विकास):**

  संघ को निर्देश दिया गया कि वह हिंदी का प्रसार और विकास इस प्रकार करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की अभिव्यक्ति का माध्यम बने तथा हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं की समृद्ध शब्दावली को आत्मसात करे।

प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसुलभ शासन

अनुच्छेद 350 का मूल दर्शन यह है कि नागरिक और शासन के बीच भाषा कभी अवरोध न बने। यदि सरकारी नीतियों, सेवा शर्तों और नियमों की भाषा जटिल और दुरुह होगी, तो नागरिक अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगा और उसे बिचौलियों पर आश्रित होना पड़ेगा।

जब प्रशासनिक आदेश, अधिसूचनाएं, फॉर्म और शिकायत निवारण तंत्र सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक हिंदी में संचालित होते हैं, तो लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो जाती है। आंतरिक कार्यालयी प्रक्रियाओं में भी सरल टिप्पणी और संक्षिप्त प्रारूपण फाइलों के त्वरित निस्तारण में सहायक होते हैं, जिससे प्रशासनिक गतिशीलता बढ़ती है।

सामाजिक न्याय और सार्वजनिक उपक्रमों में प्रासंगिकता : एनएसएफडीसी का संदर्भ

सामाजिक न्याय का लक्ष्य केवल वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं, बल्कि अवसरों तक वंचित वर्गों की सीधी और निर्बाध पहुँच बनाना है। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)** जैसी संस्थाओं का कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष प्रमाण है।

एनएसएफडीसी का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं, महिलाओं और कारीगरों को रियायती दरों पर ऋण, सूक्ष्म-वित्त (Micro-Credit Finance) और कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यदि निगम की मियादी ऋण योजनाओं, पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रियाओं का विवरण केवल क्लिष्ट या विदेशी भाषा में रहेगा, तो दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों का वास्तविक पात्र व्यक्ति इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा।

जब योजना की संपूर्ण रूपरेखा - पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, सब्सिडी का स्वरूप और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) से संपर्क की विधि - सरल व बोधगम्य हिंदी और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होती है, तभी यह कल्याणकारी पहल कागजी घोषणा से आगे बढ़कर जमीनी सशक्तिकरण में बदलती है। यहाँ भाषा सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी सिद्ध होती है।

बहुभाषिक समन्वय और समावेशी राष्ट्र-निर्माण

संविधान का अनुच्छेद 351 स्पष्ट करता है कि हिंदी का विकास किसी अन्य भारतीय भाषा (तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी आदि) की उपेक्षा या उसके स्थान पर नहीं, बल्कि सबके सहयोग से होना चाहिए।

"यदि कोई भाषा जनता से अपना सजीव संपर्क खो देती है, तो वह अपनी जीवंतता और सामर्थ्य भी खो बैठती है।"

— जवाहरलाल नेहरू

डिजिटल युग में 'भाषिणी' (Bhashini) जैसे एआई-आधारित अनुवाद टूल्स, यूनिकोड और myGov जैसे बहुभाषी पोर्टल इसी संवैधानिक भावना को साकार कर रहे हैं, जहाँ भाषा नागरिक सेवाओं की सुगम डिलीवरी का माध्यम बन रही है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक का भाषाई ढाँचा केवल प्रशासनिक पत्राचार का माध्यम तय करने वाला दस्तावेज नहीं है। यह शासन को संवेदनशील, योजनाओं को जनसुलभ, वंचितों को सशक्त और राष्ट्र को अधिक समावेशी बनाने का एक नीतिगत मार्गचित्र है। राजभाषा की वास्तविक सफलता इस बात में नहीं है कि दफ्तरों में कितने रजिस्टर भरे गए, बल्कि इसमें है कि उसने नागरिक और व्यवस्था के बीच के फासले को कितना कम किया। जब राजभाषा सूचना को समझ में और समझ को वास्तविक अवसर में रूपांतरित करती है, तभी वह राष्ट्र-निर्माण की संवाहिका बनती है।

* * * * *

राष्ट्रीय एकता का सूत्र राजभाषा
(अनेकता में एकता' को सुदृढ़ करने में संपर्क भाषा की भूमिका)

श्री सुभाष चंद
पूर्व सहायक महाप्रबंधक

विविधताओं से सजा भारत

भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है। यहाँ अनेक भाषाएँ, बोलियाँ, लोकपरंपराएँ, साहित्यिक धाराएँ, खान-पान की विविध शैलियाँ और सांस्कृतिक परंपराएँ एक साथ विकसित हुई हैं। यह विविधता भारतीय जीवन को समृद्ध और जीवंत बनाती है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतनी विविधताओं के बीच भी भारतीय समाज में एक व्यापक राष्ट्रीय चेतना विद्यमान है। यह विविधता भारत की शक्ति है और इसकी रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी भी है।

'अनेकता में एकता' केवल एक प्रसिद्ध कथन नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-पद्धति की वास्तविक विशेषता है। इस एकता को मजबूत करने में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है और संवाद के लिए भाषा सबसे प्रभावी माध्यम है। इतनी विविधताओं के बीच एक दूसरे से संवाद स्थापित करने-हेतु ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न भाषा-भाषी लोगों के बीच सहज संपर्क का माध्यम बन सके। इसी संदर्भ में हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

संपर्क भाषा का अर्थ

'संपर्क भाषा' से आशय उस भाषा से है, जिसका प्रयोग अलग-अलग मातृभाषाएँ बोलने वाले लोग आपसी संवाद के लिए करते हैं। संपर्क भाषा का उद्देश्य किसी भाषा का स्थान लेना नहीं, बल्कि भाषाओं के बीच संवाद का सेतु बनना है। भारत जैसे बहुभाषी देश में संपर्क भाषा की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच विचारों, अनुभवों और भावनाओं के आदान-प्रदान को सहज बनाती है। इस दृष्टि से हिंदी का व्यापक व्यवहारिक प्रयोग उसे देश के विभिन्न भागों में संपर्क के एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करता है।

हिंदी और राष्ट्रीय एकता

भारतीय संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। साथ ही, संविधान ने भारत की भाषाई विविधता को भी सम्मान और संरक्षण प्रदान किया है। इसलिए राजभाषा हिंदी की भूमिका को अन्य भारतीय भाषाओं के विरोध में नहीं, बल्कि उनके साथ समन्वय के संदर्भ में समझना अधिक उचित है। हिंदी का विकास तभी सार्थक है, जब वह देश की अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान रखते हुए संवाद और समन्वय को बढ़ावा दे। भाषा में सरलता और जनसामान्य से जुड़ाव होना चाहिए । देश की भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसे सामान्य जन सहज रूप से समझ और अपना सकें। भाषा का वास्तविक सामर्थ्य तभी सामने आता है, जब वह लोगों के बीच दूरी कम करे।

'अनेकता में एकता' का भाषाई आधार

'अनेकता में एकता' भारत की जीवन-पद्धति की मूल भावना है। यहाँ अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग एक ही राष्ट्रीय भावना से जुड़े हैं। भाषा इस जुड़ाव को और मजबूत करने का माध्यम बन सकती है। जब एक तमिल भाषी व्यक्ति किसी हिंदी भाषी व्यक्ति से संवाद करता है, या उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण, पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत के किसी नागरिक से बातचीत करता है, तो संपर्क भाषा संवाद की एक सामान्य जमीन तैयार कर सकती है। यह संवाद

केवल शब्दों का आदान-प्रदान नहीं होता; इसके माध्यम से संस्कृतियाँ एक-दूसरे को समझती हैं, पूर्वाग्रह कम होते हैं और पारस्परिक सम्मान बढ़ता है।

हिंदी की सरलता और सहजता

संपर्क भाषा के रूप में किसी भाषा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सहज, सरल और व्यवहारिक है। हिंदी की बोलचाल की शैली ने देश के अनेक क्षेत्रों में लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाजार, पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में हिंदी का प्रयोग अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच संवाद को आसान बनाता है। हिंदी की यही व्यावहारिकता उसे संपर्क भाषा के रूप में उपयोगी बनाती है। हालाँकि, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते समय भाषा को अनावश्यक रूप से कठिन, कृत्रिम या अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ बनाने के बजाय सरल और प्रचलित शब्दावली को प्राथमिकता देना अधिक प्रभावी होगा।

अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान

संपर्क भाषा की भूमिका तभी सकारात्मक हो सकती है, जब वह समावेशी हो। भारत की प्रत्येक भाषा अपने भीतर ज्ञान और संस्कृति का विशाल भंडार समेटे हुए है। हिंदी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ होना चाहिए। हिंदी ने स्वयं भी भारतीय भाषाओं से अनेक शब्द ग्रहण किए हैं और निरंतर समृद्ध हुई है। यह पारस्परिक आदान-प्रदान भारतीय भाषाओं की जीवंतता का प्रमाण है। भाषाओं के बीच यह संवाद भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है, जिसमें ग्रहणशीलता और समन्वय को महत्त्व दिया गया है।

प्रशासन और राजभाषा

राजभाषा के रूप में हिंदी का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्रशासन है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के बढ़ते प्रयोग से प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद को अधिक सहज बनाया जा सकता है। विशेष रूप से ऐसे विषयों में, जिनका सीधा संबंध आम नागरिकों से है, सरल और स्पष्ट भाषा प्रशासनिक संप्रेषण को प्रभावी बनाती है। राजभाषा हिंदी का उद्देश्य केवल कार्यालयी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक भाषा को अधिक स्पष्ट, सुबोध और जनोन्मुख बनाना भी है। इस दृष्टि से राजभाषा का कार्य राष्ट्रीय एकता और सुशासन, दोनों से जुड़ता है।

शिक्षा और युवा पीढ़ी

भाषाई समन्वय की भावना को मजबूत करने में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं की विविधता से परिचित कराया जाना चाहिए। इससे उनमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान के साथ-साथ अन्य भाषाओं के प्रति भी आदर की भावना विकसित होगी। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल माध्यमों के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों से पहले की तुलना में कहीं अधिक आसानी से जुड़ रही है। सोशल मीडिया, डिजिटल सामग्री, फिल्मों, संगीत और ऑनलाइन शिक्षा ने भाषाई संपर्क के नए अवसर पैदा किए हैं। ऐसे वातावरण में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के बीच संवाद और सहयोग की संभावनाएँ और बढ़ी हैं।

मीडिया और जनसंचार की भूमिका

रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और डिजिटल मीडिया ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की पहुँच को व्यापक बनाया है। समाचार, मनोरंजन और ज्ञान-विज्ञान से संबंधित सामग्री के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक-दूसरे की सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचित होते हैं। मीडिया की भाषा जितनी सरल, संतुलित और संवेदनशील होगी, उसका प्रभाव उतना ही व्यापक होगा। हिंदी के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों, परंपराओं और समस्याओं को एक-दूसरे तक पहुँचाना राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत कर सकता है।

तकनीक के युग में हिंदी

डिजिटल युग में भाषा की भूमिका और व्यापक हो गई है। यूनिकोड, भारतीय भाषाओं में टाइपिंग, मशीन अनुवाद, वाक्-पहचान और डिजिटल प्रकाशन जैसी तकनीकों ने भाषाओं के बीच संवाद को नए आयाम दिए हैं। आज आवश्यकता ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की है, जिसमें हिंदी के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं को समान

सम्मान और पर्याप्त स्थान मिले। तकनीक भाषा के बीच दीवार खड़ी करने के बजाय संवाद का पुल बने—यही भारतीय भाषाई विविधता के लिए अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है।

साहित्यभावनात्मक एकता का माध्यम :

साहित्य मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का कार्य करता है। हिंदी साहित्य में भारत की विविध सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं का व्यापक चित्रण मिलता है। दूसरी भारतीय भाषाओं के साहित्य का हिंदी में और हिंदी साहित्य का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने से विचारों का आदान-प्रदान बढ़ता है। रवींद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध पंक्ति — **"जहाँ मन भय से रहित हो और मस्तक ऊँचा हो"**—मानवीय स्वतंत्रता और व्यापक चेतना की आकांक्षा को व्यक्त करती है। ऐसी मानवीय संवेदनाएँ किसी एक भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं होतीं। साहित्य इन्हें भाषाओं की सीमाओं से परे ले जाने का माध्यम बनता है।

राष्ट्रभाषा और राजभाषा के संबंध में संतुलित दृष्टि

भाषा से संबंधित विषयों पर चर्चा करते समय संवैधानिक शब्दावली और तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। हिंदी को भारतीय संविधान ने 'राष्ट्रभाषा' नहीं, बल्कि **संघ की राजभाषा** के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हिंदी के लिए 'राष्ट्रीय एकता का सूत्र' या 'संपर्क भाषा' जैसे भावात्मक और व्यवहारिक संदर्भों का प्रयोग करते समय संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए। यह संतुलित दृष्टिकोण भाषा के प्रति सम्मान के साथ-साथ भारत की बहुभाषी संरचना के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।

संवाद से समन्वय की ओर

भाषा का वास्तविक उद्देश्य संवाद स्थापित करना है। जब भाषा संवाद का माध्यम बनती है, तो वह लोगों को एक-दूसरे के निकट लाती है। जब संवाद बढ़ता है, तो समझ बढ़ती है; और समझ बढ़ने से सहयोग तथा विश्वास की भावना मजबूत होती है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि किसी अन्य भारतीय भाषा का महत्त्व कम हो। इसके विपरीत, हिंदी की व्यापकता का उपयोग भारतीय भाषाओं के बीच संवाद बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हिंदी एक सेतु की भूमिका निभाए और उस सेतु के दोनों ओर भारत की विविध भाषाएँ और संस्कृतियाँ समान सम्मान के साथ आगे बढ़ें—यही 'अनेकता में एकता' की भावना के अनुरूप है।

निष्कर्ष

भारत की भाषाई विविधता उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। इस विविधता को बनाए रखते हुए आपसी संवाद के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता बनी रहेगी। हिंदी अपने व्यापक व्यवहार और सरल संपर्क क्षमता के कारण इस भूमिका में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है। राजभाषा हिंदी का सशक्तीकरण तभी सार्थक होगा, जब वह संवाद, समन्वय और समावेश का माध्यम बने। अन्य भारतीय भाषाओं के सम्मान के साथ हिंदी का विकास राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकता है। वास्तव में, भाषा केवल बोलने और लिखने का माध्यम नहीं है; वह मन से मन को जोड़ने का सेतु है। जब भारत की विविध भाषाएँ परस्पर सम्मान और सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगी, तब 'अनेकता में एकता' केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की और अधिक सशक्त वास्तविकता बनेगी।

भारत में अनेक भाषाएँ और बोलियाँ हैं, किंतु उन सभी के भीतर एक ही साझी भारतीय चेतना प्रवाहित होती है।"

— डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

*****

राजभाषा नियम, 1976
और
सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

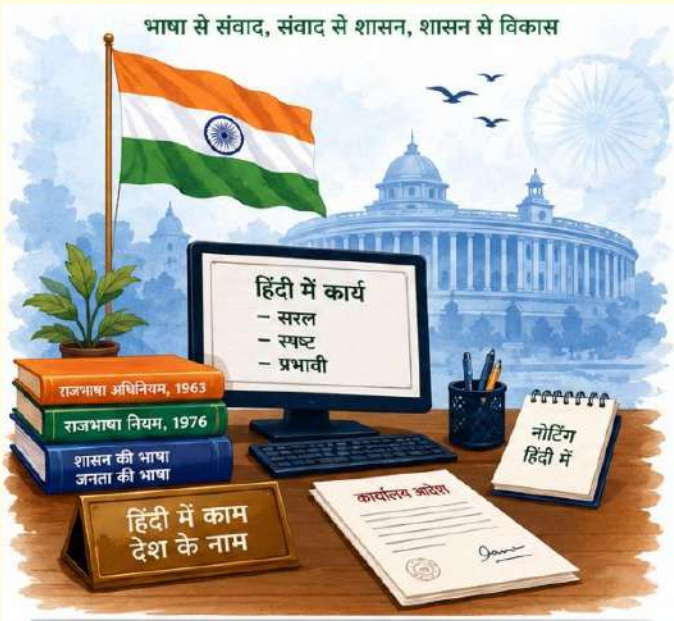

हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग – सुशासन, पारदर्शिता और जन-सशक्तिकरण का संकल्प

श्री डेविड रांगते,
महाप्रबंधक

भाषा से व्यवस्था तक : राजभाषा की सार्थक यात्रा

भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है; वह शासन, प्रशासन और समाज के बीच संवाद का सशक्त सेतु भी है। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासन की नीतियाँ, योजनाएँ और निर्णय जनता तक कितनी सहजता से पहुँचते हैं। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में प्रशासनिक कार्यों में ऐसी भाषा का प्रयोग आवश्यक है, जो व्यापक जनसमुदाय से संवाद स्थापित कर सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। संविधान की इसी व्यवस्था को व्यवहार में लागू करने के लिए **राजभाषा अधिनियम, 1963** और उसके अधीन बनाए गए **राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976** महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। राजभाषा नियम, 1976 का मूल प्रकाशन 17 जुलाई 1976 को हुआ था तथा इनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। वर्तमान नियम 1987, 2007 और 2011 के संशोधनों सहित लागू हैं।

राजभाषा नियम, 1976 : हिंदी प्रयोग का प्रशासनिक आधार

राजभाषा नियम, 1976 का उद्देश्य केवल हिंदी को सरकारी कार्यालयों में स्थापित करना नहीं है, बल्कि संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी के क्रमिक, व्यावहारिक और प्रभावी प्रयोग के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था तैयार करना है। इन नियमों में कार्यालयों, कर्मचारियों, पत्राचार, दस्तावेजों, हिंदी में कार्य करने की क्षमता तथा हिंदी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है।

नियमों में कार्यालयों को **क्षेत्र 'क', क्षेत्र 'ख' और क्षेत्र 'ग'** में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। जो निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	सम्मिलित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पत्राचार का प्रमुख नियम
'क' क्षेत्र	उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।	केंद्र सरकार और इन राज्यों के मध्य पत्र-व्यवहार शत-प्रतिशत **हिंदी** में होना अनिवार्य है। यदि कोई पत्र अपरिहार्य स्थिति में अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो उसका हिंदी अनुवाद संलग्न करना आवश्यक है।
'ख' क्षेत्र	पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन-दीव और दादरा व नगर हवेली।	केंद्र सरकार और इन राज्यों के मध्य पत्राचार सामान्यतः **हिंदी** में किया जाता है। अंग्रेजी पत्राचार के साथ हिंदी अनुवाद भेजना आवश्यक होता है।
'ग' क्षेत्र	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिणी राज्य (तमिलनाडु को छोड़कर) एवं अन्य संघ राज्य क्षेत्र।	इन राज्यों के साथ संचार की भाषा सामान्यतः अंग्रेजी हो सकती है, परंतु हिंदी में पत्राचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

प्रमुख नियमों का प्रशासनिक विश्लेषण

राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत कुल 12 नियम हैं, जो कार्यालयीन दिनचर्या के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करते हैं:

- **नियम 3 (पत्राचार की भाषा):** यह नियम विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले सरकारी पत्राचार की भाषा तय करता है। 'क' क्षेत्र को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में भेजने का कड़ा निर्देश है।

- **नियम 5 (हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर):** यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण और बाध्यकारी है। इसके अनुसार, यदि किसी केंद्रीय कार्यालय को कोई पत्र, आवेदन या अभ्यावेदन हिंदी में प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर अनिवार्यतः केवल और केवल **हिंदी** में ही दिया जाएगा।

- **नियम 8 (टिप्पण और प्रारूपण):** केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों पर अपनी टिप्पणी (Noting) या प्रारूप (Drafting) हिंदी या अंग्रेजी में लिखने के लिए स्वतंत्र है। उसे किसी एक भाषा के प्रयोग के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही अनुवाद मांगने की अनुमति है, यदि अधिकारी कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।

- **नियम 10 (कार्यालयों की अधिसूचना):** जिस केंद्रीय कार्यालय के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उसे राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित किया जाता है। ऐसे कार्यालयों में अधिकांश कार्य हिंदी में करना अनिवार्य होता है। इसी कारण कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, हिंदी टंकण, यूनिकोड, कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग तथा शब्दावली संबंधी प्रशिक्षण का विशेष महत्त्व है। आज प्रशासनिक कार्य डिजिटल माध्यमों पर तेजी से स्थानांतरित हो रहा है। ऐसे में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग तभी संभव है, जब ई-ऑफिस, ई-मेल, डिजिटल फाइल, पोर्टल, प्रस्तुतीकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हिंदी का सहज उपयोग किया जाए।

- **नियम 11 (द्विभाषिक सामग्री):** सभी रजिस्टरों, प्रपत्रों, शीर्ष-पत्रों (Letterheads), मोहरों, नामपट्टों और स्टेशनरी मदों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों) रूप में तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें हिंदी का स्थान ऊपर या पहले होना चाहिए।

- **नियम 12 (अनुपालन का उत्तरदायित्व):** प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख (Head of Office) का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करे।

राजभाषा का स्वरूप

कार्यालयीन टिप्पणी की भाषा का उद्देश्य विचार का स्पष्ट संप्रेषण होना चाहिए। कार्यालयीन हिंदी सरल, स्पष्ट, शुद्ध और व्यावहारिक होनी चाहिए। 'अग्रसारित' की जगह यदि 'भेजा जाता है' या 'सहमति' की जगह 'स्वीकृति' जैसे सरल शब्दों का प्रयोग हो, तो कार्य की गति और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि होती है।

डिजिटल **युग में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग**

वर्तमान डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी ने राजभाषा के कार्यान्वयन को अप्रत्याशित गति प्रदान की है। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में हिंदी में कार्य करना अब आसान हो गया है।

- **ई-ऑफिस (e-Office) और यूनिकोड:** निगम में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का संचालन, टिप्पण और मसौदा तैयार करना यूनिकोड (Unicode) आधारित हिंदी फॉन्ट में अत्यंत सुगम हो गया है। निगम में इसका प्रयोग भी किया जाता है।
- **अनुवाद और एआई टूल्स:** भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित **'कंठस्थ'/भाषिणी** स्मृति-आधारित अनुवाद प्रणाली ने हिंदी टिप्पण/आलेखन आसान होता जा रहा है।
- **'लीला' (LILA)** हिंदी लर्निंग ऐप ने गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना और काम करना सुगम बना दिया है।
- **वॉयस टाइपिंग (Voice Typing):** आधुनिक वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से कर्मचारी बोलकर तेजी से हिंदी में ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे समय की बचत हो रही है।

एनएसएफडीसी में राजभाषा कार्यान्वयन

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट (एनएसएफडीसी) में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को सुदृढ़ और प्रभावी करने हेतु राजभाषा नियम, 1976 में उपाबद्ध नियमों के अंतर्गत दिए प्रावधानों के अनुपालन में:-

- ❖ राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित है।
- ❖ राजभाषा नियम, 1976 के उपनियम-12 के अनुपालन में जांच बिंदु जारी हैं।
- ❖ प्रतिवर्ष राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम को कार्यालय में जारी किया जाता है।
- ❖ नियम 9 एवं 10 के उपाबद्ध प्ररूप में कार्मिकों से हिंदी के ज्ञान संबंधी घोषणा प्राप्त है ।
- ❖ उक्त घोषणा के आधार पर नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को टिप्पणी, प्रारूप और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए व्यक्तिश: आदेश जारी किए गए हैं।
- ❖ नियम 11 के प्रावधानों के अनुपालन में निगम के सभी नियम, प्ररूप, पत्र शीर्ष, नामपट्ट आदि द्विभाषी हैं।
- ❖ कार्मिकों को हिंदी में काम करने के योग्य बनाने, उनके संकोच को दूर करने, व्यावहारिक प्रशिक्षण देने, तकनीकी ज्ञान बढ़ाने तथा नियमों की जानकारी देने के लिए नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- ❖ छ: प्रोत्साहन योजनाएं -मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन योजना, अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, हिंदी टाइपलेखन के लिए प्रोत्साहन भत्ता योजना, विभागीय राजभाषा चल शील्ड योजना, समवर्ती मूल्यांकन योजना और श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना लागू हैं ।
- ❖ निगम में वार्षिक तौर पर सभी डेस्कों/विभागों का वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर राजभाषा निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार किया जाता है।

राजभाषा नियमों के उपरोक्त् बिंदुओं के अनुपालन के प्रयासों से कार्यालय को वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, संसदीय समिति के निरीक्षण और द्विभाषी कार्य प्रकृति में मदद मिलती है।

राजभाषा नियम, 1976 केवल कानूनी दायित्वों का संकलन नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक तंत्र को लोक-उन्मुख बनाने का सशक्त माध्यम है। जब एक सामान्य नागरिक अपनी मातृभाषा या संपर्क भाषा में सरकारी आदेश, प्रपत्र और सूचनाएँ प्राप्त करता है, तब उसका लोकतंत्र और शासन व्यवस्था पर विश्वास प्रगाढ़ होता है।

हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम नियमों की औपचारिकता से आगे बढ़कर हिंदी को अपने दैनिक कार्य-व्यवहार और मन की सहज भाषा बनाएँ। आइए, राजभाषा नियम, 1976 की मूल भावना को आत्मसात करते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को एक जन-अभियान का रूप दें और राष्ट्र की भाषाई गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखें।

स्रोत/संदर्भ:

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार — राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976, यथा संशोधित 1987, 2007 एवं 2011।
2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार — वार्षिक कार्यक्रम 2026-27।

हिंदी : जनभाषा से प्रशासन और राष्ट्र-निर्माण की भाषा तक

श्री अतुल कुमार खत्री
वरिष्ठ तकनीशियन,
डीएफपीसीएल, तलोजा

प्रस्तावना: भाषा, नागरिक और राज्य का अंतर्संबंध

भारत की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक मानचित्र से नहीं, बल्कि उसकी बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुविध सामाजिक संरचना से परिभाषित होती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाषा केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह नागरिक सशक्तिकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकीकरण की आधारभूत संरचना का निर्माण करती है। राज्यसत्ता और सामान्य नागरिक के बीच की दूरी इस बात से तय होती है कि शासन-व्यवस्था किस भाषा में सोचती है, किस भाषा में आदेश देती है और किस भाषा में जनसंवाद स्थापित करती है।

हिंदी की ऐतिहासिक और समकालीन यात्रा केवल साहित्य, संस्कृति और व्याकरण के संवर्धन की यात्रा नहीं है। यह जनभाषा (लिंगुआ फ्रैंका) से प्रारंभ होकर जनसंचार, व्यापार, विधि, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से गुजरते हुए राष्ट्र-निर्माण की व्यापक प्रक्रिया तक पहुँचती है। आज के संदर्भ में भाषा का मूल्यांकन केवल उसके भावनात्मक या पारंपारिक महत्व से नहीं किया जा सकता, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि वह प्रशासन को कितना सुगम, कल्याणकारी योजनाओं को कितना जनसुलभ, नागरिक को कितना आत्मनिर्भर और संपूर्ण राष्ट्र को कितना समावेशी बनाती है।

1. **जनभाषा से संपर्क भाषा: ऐतिहासिक यथार्थ और लोकतांत्रिक आधार**
   किसी भी भाषा का व्यापक जन-आधार किसी राजकीय आदेश या कानूनी अधिसूचना का मोहताज नहीं होता। हिंदी सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के बीच एक स्वाभाविक संपर्क सेतु (Bridge Language) की भूमिका निभाती रही है।

   - **व्यापार, तीर्थाटन और सामाजिक आदान-प्रदान:** उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले प्राचीन हाट-बाजारों, व्यापारिक मार्गों और तीर्थस्थलों पर जिस व्यावहारिक और लचीली बोली ने संवाद स्थापित किया, वह सरल हिंदी या हिंदुस्तानी थी। इसने विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के बीच कभी अवरोध नहीं बनाया, बल्कि एक साझा मंच उपलब्ध कराया।

   - **स्वतंत्रता संग्राम का सामूहिक संबल:** 19वीं और 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुब्रह्मण्य भारती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विभिन्न भाषा-भाषी मनीषियों ने अनुभव किया कि जनसामान्य को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लामबंद करने के लिए एक सर्वमान्य संपर्क भाषा अनिवार्य है। हिंदी की सहज संप्रेषणीयता ने किसान, मजदूर, शिल्पकार और बुद्धिजीवी को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया।

   - **औपनिवेशिक भाषाई अभिजात्य का विखंडन:** स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद हिंदी ने सत्ता के उस भाषाई एकाधिकार को चुनौती दी, जहाँ शासन और अधिकारों की भाषा केवल अंग्रेजी जानने वाले एक छोटे से वर्ग तक सीमित थी। जनभाषा के प्रसार ने लोकतांत्रिक चेतना को धरातल तक पहुँचाया।

   - **जनभाषा की वास्तविक परिभाषा:** जनभाषा वह नहीं है जिसे केवल संख्या बल पर बोला जाए, बल्कि वह माध्यम है जिसमें अंतिम पंक्ति का नागरिक अपने प्रश्न पूछ सके, अपनी पीड़ा और शिकायतें दर्ज करा सके तथा उपलब्ध सूचना को समझकर स्वतंत्र निर्णय ले सके।

2. **प्रशासनिक कार्यकुशलता: 'आदेश' से 'सक्रिय संवाद' की ओर**
परंपरागत और औपनिवेशिक प्रशासन का स्वरूप मुख्यतः एकतरफा आदेश, निर्देश, जटिल नियमावलियाँ और गोपनीय अभिलेख तैयार करने तक सीमित था। इसके विपरीत, आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन का ध्येय नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण (Citizen-Centric Governance) है।

- **क्लिष्टता से सरलता की ओर रूपांतरण:** राजभाषा हिंदी का मूल उद्देश्य कृत्रिम, संस्कृतनिष्ठ या दुरुह शब्दावली का बोझ लादना नहीं है। यदि कोई सरकारी परिपत्र इतना कठिन हो कि उसका भाव समझने के लिए शब्दकोश या विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े, तो वह प्रशासनिक उद्देश्य को ही विफल कर देता है। प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप "कम शब्दों में स्पष्ट, सटीक और कार्रवाई-योग्य अर्थ" होना चाहिए।

- **दलालों और मध्यस्थों से मुक्ति:** प्रशासनिक अधिसूचनाओं, नियमों और प्रपत्रों का जनभाषा में होना नागरिक को बिचौलियों और मध्यस्थों के आर्थिक व मानसिक शोषण से मुक्त करता है। जब एक सामान्य आवेदक को स्वयं ज्ञात होता है कि पात्रता क्या है और प्रक्रिया क्या है, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार की गुंजाइश स्वतः न्यूनतम हो जाती है।

- **आंतरिक कार्यालयी दक्षता:** स्पष्ट और बोधगम्य भाषा का लाभ केवल नागरिक को ही नहीं मिलता, बल्कि सरकारी तंत्र के भीतर भी कार्यक्षमता को गति देता है। सुसंगत टिप्पणियाँ (Noting), संक्षिप्त प्रारूपण (Drafting) और स्पष्ट आदेश फाइलों के निस्तारण में लगने वाले समय को घटाते हैं और नीतिगत क्रियान्वयन में लालफीताशाही को समाप्त करते हैं।

- **सुलभ न्याय और विधि तंत्र का लोकतंत्रीकरण:** विधि और न्यायपालिका में जनभाषा का अभाव नागरिक के मौलिक अधिकारों की राह में ऐतिहासिक बाधा रहा है। पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) के पंजीकरण से लेकर निचली अदालतों के निर्णयों, विधिक संहिताओं और केंद्रीय अधिनियमों के सरल अनुवाद तक, जनसुलभ भाषा ही न्याय को सामान्य जन के दरवाजे तक पहुँचाती है।

3. **लोक-कल्याणकारी योजनाओं की जनसुलभता और अंतिम छोर तक पहुँच**
कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की सफलता का पैमाना यह नहीं है कि कितनी योजनाएँ घोषित की गईं या कितना बजट आवंटित किया गया, बल्कि यह है कि लक्षित लाभार्थी वास्तव में उस सहायता को प्राप्त कर सके या नहीं।

- **कार्रवाई-योग्य सूचना का प्रसार:** यदि किसी युवा के लिए कौशल विकास योजना, किसी किसान के लिए फसल बीमा या किसी महिला के लिए स्वरोजगार ऋण योजना उपलब्ध है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि पात्रता की शर्तें क्या हैं, कौन-से दस्तावेज संलग्न करने हैं और आवेदन कहाँ जमा करना है, तो नीति केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। सरल हिंदी में तैयार की गई बिंदुवार और स्पष्ट सूचना योजना और लाभार्थी के बीच की खाई को पाटती है।

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और प्रमुख योजनाएँ:** डीबीटी (DBT), आयुष्मान भारत, पीएम-किसान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और जन-धन योजना जैसी विशाल योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन तभी संभव हो सका है, जब उनकी नियमावली और प्रक्रिया को जनसुलभ भाषा में प्रस्तुत किया गया।

- **वित्तीय समावेशन की रीढ़:** वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ आम नागरिक को बचत, संस्थागत ऋण, सूक्ष्म-बीमा, पेंशन और डिजिटल भुगतान की औपचारिक व्यवस्था से जोड़ना है। बैंकिंग शब्दावली को जब तक आम बोलचाल की हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं समझाया जाएगा, तब तक छोटे व्यापारी, रेहड़ी-पटरी वाले और ग्रामीण उद्यमी आर्थिक मुख्यधारा से पूरी तरह नहीं जुड़ सकते।

4. **नागरिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय**
लोकतंत्र में वास्तविक सशक्तिकरण का अर्थ है कि नागरिक व्यवस्था पर आश्रित रहने के बजाय अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सक्रिय भागीदार बने।

- **सूचना को अधिकार में बदलना:** सूचना का अधिकार (RTI), जनसुनवाई, लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS) और नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen Charter) जैसे उपकरण तभी प्रभावी होते हैं,

जब नागरिक अपनी भाषा में प्रश्न पूछ सके और प्रशासन उसी सरलता से उत्तर दे। यह व्यवस्था नागरिक को 'याचक' या केवल 'लाभार्थी' के स्थान पर शासन का सजग 'निगरानीकर्ता' और 'साझेदार' बनाती है।

- **समान अवसरों का निर्माण:** सामाजिक न्याय का मूल तत्व केवल आर्थिक संसाधनों का वितरण नहीं, बल्कि अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। यदि किसी पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी को छात्रवृत्ति के नियम समझ में नहीं आते, या दूरदराज के युवा को तकनीकी प्रशिक्षण का प्रारूप स्पष्ट नहीं होता, तो वह योग्यता होते हुए भी पीछे छूट जाता है।

- **प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा का लोकतंत्रीकरण:** जब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राज्य आयोगों, बैंकिंग और तकनीकी संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएँ हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में आयोजित होती हैं, तो भाषाई आधार पर होने वाला भेदभाव समाप्त होता है और ग्रामीण व वंचित पृष्ठभूमि की प्रतिभाओं को राष्ट्र-निर्माण का समान अवसर मिलता है।

5. डिजिटल युग, तकनीक और विज्ञान में हिंदी की नई भूमिका

21वीं सदी का प्रशासन तीव्र गति से डिजिटल हो रहा है। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स ने शासन को नागरिक की हथेली तक पहुँचा दिया है, किंतु तकनीक तभी समावेशी बनती है जब उसकी भाषा भी जनसुलभ हो।

डिजिटल युग में भाषाई समावेशन का ढाँचा		
क्षेत्र	**व्यावहारिक उपयोगिता**	**राष्ट्र-निर्माण पर प्रभाव**
डिजिटल गवर्नेंस	myGov, उमंग, डिजीलॉकर और सारथी जैसे पोर्टल्स का सहज बहुभाषी इंटरफेस	भाषाई और डिजिटल विभाजन (Digital Divide) की समाप्ति
उच्च व तकनीकी शिक्षा	चिकित्सा (MBBS), इंजीनियरिंग व विज्ञान की मानक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण	प्रतिभा पलायन पर रोक और स्थानीय प्रतिभाओं का संवर्धन
भाषा तकनीक व AI	'भाषिणी' (Bhashini), स्पीच-टू-टेक्स्ट, वॉइस-बॉट्स और मशीन अनुवाद	निरक्षर व दिव्यांग नागरिकों के लिए मौखिक सेवाओं की सुलभता

- **डिजिटल विभाजन की समाप्ति:** यदि कोई ऑनलाइन सेवा केवल क्लिष्ट भाषा में उपलब्ध है, तो आम नागरिक को साइबर कैफे या अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यूनिकोड, मोबाइल-आधारित हिंदी कीबोर्ड और सरल इंटरफेस ने इस डिजिटल खाई को पाटने का कार्य किया है।

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय गुणवत्ता:** AI-आधारित अनुवाद और वॉयस तकनीक से प्रशासनिक सूचनाओं को रियल-टाइम में रूपांतरित किया जा रहा है। हालाँकि, सरकारी संचार और विधिक दस्तावेजों में तथ्यात्मक शुद्धता, संदर्भ और गरिमा बनाए रखने के लिए मानवीय समीक्षा (Human-in-the-loop) निरंतर अपरिहार्य रहेगी।

6. समावेशी संघवाद: अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सह-अस्तित्व

भारत का भाषाई ताना-बाना एक पुष्पगुच्छ के समान है, जहाँ प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट स्थान और गौरव है। हिंदी के विस्तार को कभी भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, मराठी, ओडिया, असमिया या किसी भी अन्य भारतीय भाषा के विकल्प या प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा जा सकता।

- **सहयोग और पूरकता का सिद्धांत:** स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाएँ स्थानीय स्तर पर जन-संवाद और संस्कृति की प्राथमिक संवाहक हैं, जबकि हिंदी एक अखिल भारतीय अंतर-क्षेत्रीय संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करती है। दोनों व्यवस्थाएँ एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।

- **आठवीं अनुसूची की संवैधानिक भावना:** संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाएँ राष्ट्रीय धरोहर हैं। भविष्य की प्रशासनिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें नागरिक को अपनी सुविधा की भाषा में सेवाएँ मिलें और केंद्र व राज्यों के बीच अंतर-भाषाई संवाद का सहज आदान-प्रदान हो।

- **सांस्कृतिक एवं ज्ञान का विनिमय:** दक्षिण, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध ज्ञान, दर्शन और साहित्य का हिंदी में अनुवाद तथा हिंदी के ज्ञान-कोष का अन्य भारतीय भाषाओं में रूपांतरण ही वास्तविक राष्ट्रीय भावनात्मक एकीकरण को सुदृढ़ कर सकता है।

7. नीतिगत क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और भविष्य की रूपरेखा

हिंदी को केवल प्रतीकात्मक 'पखवाड़े' या 'दिवस' के आयोजनों से आगे बढ़ाकर प्रशासनिक सक्षमता और राष्ट्र-निर्माण की वास्तविक धुरी बनाने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदमों की आवश्यकता है:

1. **मूल आलेखन को प्रोत्साहन (Original Drafting):** सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के प्रारूपों का शाब्दिक और जटिल अनुवाद करने की औपनिवेशिक परिपाटी समाप्त होनी चाहिए। नीतियाँ, पत्र और परिपत्र मूल रूप से सरल हिंदी और संबंधित भाषाओं में ही सोचे और लिखे जाने चाहिए।

2. **शब्दावली का व्यावहारिक सरलीकरण:** प्रशासनिक शब्दावली में ऐसे क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर, जो सामान्य जन की समझ से परे हों, दैनिक जीवन और समाज में सहज रूप से प्रचलित शब्दों को आधिकारिक मान्यता दी जानी चाहिए।

3. **कार्रवाई-योग्य प्रारूप (Action-Oriented Formats):** योजनाओं की मार्गदर्शिकाओं को केवल लंबे अनुच्छेदों में न रखकर फ्लो-चार्ट, सवाल-जवाब (FAQs) और सरल चेकलिस्ट के रूप में प्रकाशित किया जाए।

4. **सार्वजनिक फीडबैक प्रणाली:** नागरिक-केंद्रित पोर्टलों और विभागीय प्रपत्रों पर भाषा की सुगमता के संबंध में आम नागरिकों से नियमित प्रतिक्रिया ली जानी चाहिए, ताकि भाषा को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके।

निष्कर्ष

हिंदी की सार्थकता इस बात से सिद्ध नहीं होती कि सरकारी कार्यालयों में कितने दस्तावेज तैयार हुए या फाइलों की संख्या कितनी बढ़ी। इसकी वास्तविक सफलता इसमें निहित है कि इसने शासन और नागरिक के बीच की खाई को कितना पाटा, योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुँचाया और एक आम नागरिक को अपने अधिकारों के प्रयोग में कितना समर्थ बनाया।

जब प्रशासन की भाषा जनसुलभ होती है, तो नीतियाँ स्पष्ट होती हैं; जब नीतियाँ स्पष्ट होती हैं, तो योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचता है; जब योजनाओं का लाभ मिलता है, तो नागरिक सशक्त होता है; और जब नागरिक सशक्त होता है, तभी एक आत्मनिर्भर, समतामूलक और लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होता है।

भाषा से संवाद, संवाद से विश्वास, विश्वास से जनभागीदारी और जनभागीदारी से समग्र विकास—यही जनभाषा से प्रशासन और प्रशासन से राष्ट्र-निर्माण की भाषा तक हिंदी की वास्तविक, सार्थक और विकासशील यात्रा है।

"**महात्मा गांधी:** राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए परम आवश्यक है। जिस देश को अपनी भाषा का अभिमान नहीं, वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता।"

"**सुब्रह्मण्य भारती:** भारत में अनेक भाषाएँ हैं, किंतु उन सभी के भीतर धड़कती हुई अंतरात्मा एक ही है।" (यह उद्धरण भाषाई समन्वय और सह-अस्तित्व वाले भाग के लिए उपयुक्त है)।

"**नेताजी सुभाष चंद्र बोस:** हमें ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे देश का अधिकांश भाग आसानी से समझ सके, और वह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है।"

"**डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन:** हिंदी भाषा भारत की साझी संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना की सबसे स्वाभाविक संवाहिका है।"

राजभाषा से राष्ट्र निर्माण: भाषा, प्रशासन और विकास

श्रीमती अर्चना मेहरा
मुख्य प्रबंधक

राष्ट्र निर्माण और भाषाई धरातल

भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित है. अनेक भाषाएँ, बोलियाँ, संस्कृतियाँ और जीवन-पद्धतियाँ भारतीय समाज को एक अनूठी सामाजिक संरचना प्रदान करती हैं। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में भाषा केवल पारस्परिक संवाद या अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं होती, बल्कि वह संप्रभुता, सामाजिक समरसता, जन-कल्याण और शासन तथा नागरिक के बीच विश्वास का आधारभूत सेतु होती है।

> **"राष्ट्र निर्माण केवल आर्थिक वृद्धि, भौतिक अवसंरचना, राजमार्गों या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आँकड़ों तक सीमित नहीं है; यह वह निरंतर प्रक्रिया है जो प्रत्येक नागरिक को सम्मान, समान अवसर, अधिकार और निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता प्रदान करती है।"**

भारत जैसे विशाल और बहुभाषिक देश में 'राजभाषा' (Official Language) की अवधारणा केवल कार्यालयी पत्राचार का एक भाषाई विकल्प नहीं, बल्कि सुशासन, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का एक रणनीतिक माध्यम है. जब तक प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियाँ और विकास परियोजनाएँ जनसामान्य की अपनी भाषा में संप्रेषित नहीं होंगी, तब तक योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकता। अतएव **भाषा, प्रशासन और विकास** आधुनिक भारत के नवनिर्माण की सबसे अनिवार्य धुरी है।

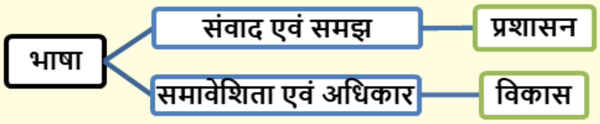

1. भाषा, प्रशासन और विकास: अंतर-संबंध

लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली के भीतर ये तीनों घटक एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं:

1) **भाषा:** विचार, ज्ञान-संचार, प्रशासनिक दिशा-निर्देश और नागरिक-संवाद का माध्यम।
2) **प्रशासन:** नीतियों के निर्माण, संसाधनों के आवंटन और लोक-सेवाओं के वितरण की कार्यकारी व्यवस्था।
3) **विकास:** नागरिक सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा और जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार।

यदि इस में भाषा दुर्बोध्य, अत्यधिक तकनीकी अथवा औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त हो, तो शासन और जनता के मध्य एक अदृश्य दूरी बन जाती है। जब एक सामान्य नागरिक नियम, पात्रता और अपने कानूनी अधिकारों को समझ ही नहीं पाता, तो वह विकास का सक्रिय हितधारक बनने के बजाय केवल एक मूक याचक या मध्यस्थों पर निर्भर व्यक्ति बनकर रह जाता है।

इसके विपरीत, जब राजभाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ प्रशासनिक तंत्र की मुख्य संवाहिका बनती हैं:

- **प्रक्रियागत पारदर्शिता:** प्रशासनिक आदेशों व परिपत्रों की व्याख्या में विसंगतियाँ समाप्त होती हैं।
- **सूचना की विषमता (Information Asymmetry) का अंत:** नागरिकों को अपने अधिकारों की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है।
- **संसाधनों का सटीक वितरण:** योजनाओं में लीकेज (Leakage) और मध्यस्थों की भूमिका न्यूनतम हो जाती है।

2. प्रशासनिक दक्षता: 'आदेश' से 'संवाद' तक का परिवर्तन

पारंपरिक औपनिवेशिक व्यवस्था में सरकारी संचार एकतरफा होता था, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल आदेश और निर्देश देना था। आधुनिक जन-कल्याणकारी लोकतंत्र में प्रशासन की भूमिका इससे आगे बढ़कर नागरिक से संवाद करने, उसकी आवश्यकताओं को समझने और शिकायतों का समाधान करने की हो चुकी है।

❖ प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव

➢ **जटिल शब्दावली का सरलीकरण:** पारंपरिक भारतीय प्रशासन पर लंबे समय तक क्लिष्ट और अपरिचित विधिक शब्दावली हावी रही है. राजभाषा का सहज और व्यावहारिक प्रयोग व्यवस्था को आमजन के लिए सुलभ और उत्तरदायी बनाता है।

➢ **त्वरित निर्णय प्रक्रिया व लागत में कमी:** जब फाइल टिप्पणियाँ (Notings), कार्यालयीन आदेश और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) स्पष्ट भाषा में तैयार की जाती हैं, तो अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच संप्रेषण का भ्रम मिट जाता है. इससे न केवल फाइलों का निस्तारण त्वरित होता है, बल्कि प्रशासनिक लागत और नागरिक के समय की भी बचत होती है।

➢ **जन-शिकायत निवारण (Grievance Redressal):** नागरिक अपनी पीड़ा अपनी स्वाभाविक भाषा में ही सबसे बेहतर तरीके से रख सकता है। लोक सेवा केंद्रों और जनसुनवाई पोर्टलों पर जब राजभाषा व स्थानीय भाषा में त्वरित समाधान मिलता है, तो राज्य के प्रति नागरिक का भरोसा गहरा होता है।

❖ प्रशासनिक मॉडल: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण

घटक	पारंपरिक प्रशासनिक मॉडल	भाषाई समावेशन युक्त मॉडल
व्यवस्था का स्वरूप	बंद, जटिल, औपचारिक एवं औपनिवेशिक	खुला, पारदर्शी, सहज एवं नागरिक-केंद्रित
संवाद की दिशा	एकतरफा (Top-Down) — केवल आदेश देना	दोतरफा (Participatory) — संवाद एवं सहभागिता
नागरिक की स्थिति	सूचना-विहीन, आश्रित व निष्क्रिय लाभार्थी	जागरूक, स्वावलंबी व अधिकार-सम्पन्न साझेदार
परिणाम	प्रक्रियागत विलंब, विसंगतियाँ व भ्रष्टाचार	तीव्र निस्तारण, लक्षित वितरण व उच्च विश्वसनीयता

3. **लोक-कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक विस्तार: सूचना से कार्रवाई तक**

किसी भी योजना का निर्माण और उसका वास्तविक लाभ धरातल पर पहुँचना दो अलग-अलग बिंदु हैं; इनके बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी **स्पष्ट सूचना और जन-जागरूकता** है।

नीति निर्माण → सरल राजभाषा में दिशा-निर्देश → जन जागरूकता → अंतिम व्यक्ति तक अधिकार

❖ **केवल सूचना नहीं, 'कार्रवाई योग्य सूचना' (Actionable Information)**

सरकारी संचार का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं होना चाहिए कि योजना का शीर्षक क्या है; बल्कि संदेश ऐसा होना चाहिए जो नागरिक को सीधे कदम उठाने में सक्षम बनाए:

- **साधारण सूचना:** "आप एनएसएफडीसी की शिक्षा ऋण योजना अथवा मियादी ऋण योजना हेतु पात्र हैं।"
- **कार्रवाई योग्य सूचना:** "आप इस योजना के पात्र हैं; इसके लिए ये तीन अनिवार्य दस्तावेज लगेंगे; आप इसके लिए अपने राज्य में स्थित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी या एनएसएफडीसी के पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं; और किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस संपर्क सूत्र पर जुड़ें।"

❖ **वित्तीय समावेशन और आजीविका सुरक्षा**

- **वित्तीय साक्षरता:** 'प्रधानमंत्री जन धन योजना', 'मुद्रा योजना', 'किसान क्रेडिट कार्ड', बैंकिंग, बीमा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि अंतिम व्यक्ति शर्तों को समझे। बैंक फॉर्म, एटीएम इंटरफेस और वित्तीय संदेश जब सुगम भाषा में उपलब्ध होते हैं, तो धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

- **ग्रामीण व कृषि तंत्र:** 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि', मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मौसम संबंधी चेतावनियाँ जब किसानों तक उनकी समझ की भाषा में पहुँचती हैं, तो यह सीधे कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देती हैं।

- **स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा:** 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाएँ केवल तभी जीवनरक्षक बन सकती हैं जब अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार तक की नियमावली मरीज और उसके परिवार की भाषाई समझ में हो।

4. **भाषा और सामाजिक न्याय: नागरिक सशक्तीकरण का आधार**

सामाजिक न्याय का अर्थ केवल संशाधनों का वितरण नहीं, बल्कि अवसरों और अधिकारों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना है।

कानूनी साक्षरता और न्याय की सुलभता

- **विधि का सरलीकरण:** यदि देश की संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम और अदालतों के निर्णय ऐसी भाषा में हों जिसे बहुसंख्यक आबादी समझ ही न सके, तो न्याय की मूल भावना बाधित होती है।

- **अदालती निर्णयों का अनुवाद:** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का राजभाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध कराना न्याय प्रणाली को लोकतंत्रीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- **प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था में सहजता:** प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने, भू-अभिलेखों की नकल प्राप्त करने और विधिक सहायता हासिल करने में जनभाषा का प्रयोग नागरिक के मन से राज्य तंत्र का भय मिटाकर सुरक्षा और बराबरी का भाव देता है।

5. **आर्थिक उत्पादकता, नवाचार और पहली पीढ़ी की उद्यमिता**

इतिहास साक्षी है कि जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे राष्ट्रों ने अपनी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से ही औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक प्रगति को गति दी।

मातृभाषा/राजभाषा में ज्ञान→ मौलिक शोध व नवाचार → उद्यमिता → आर्थिक निर्भरता

- **पहली पीढ़ी के उद्यमियों का सशक्तीकरण:** व्यवसाय शुरू करने वाले छोटे कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को पंजीकरण, कराधान (GST), सरकारी अनुदान और डिजिटल सेवाओं की जानकारी जब सरल भाषा में मिलती है, तो वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक तंत्र में आसानी से शामिल होते हैं।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और तकनीकी शिक्षा:** चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कौशल विकास और प्रबंधन की पढ़ाई को राजभाषा और भारतीय भाषाओं में सुलभ कराने से भाषा की बाध्यता के कारण प्रतिभाओं का बाहर होना बंद होता है।

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और ONDC:** 'डिजिटल इंडिया', यूपीआई (UPI), उमंग (UMANG) और 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) की सफलता का मुख्य आधार उनका बहुभाषी ढाँचा है, जिसने स्थानीय व्यापारियों को सीधे राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया है।

6. **तकनीक, डिजिटल शासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का भविष्य**

डिजिटल युग ने नागरिक सेवाओं को मोबाइल और वेब पोर्टल तक तो पहुँचा दिया है, किंतु यदि डिजिटल सेवा की भाषा दुरुह होगी तो यह एक नए प्रकार के 'भाषाई डिजिटल विभाजन' (Linguistic Digital Divide) को जन्म देगी।

भाषा-प्रौद्योगिकी के आधुनिक आयाम

1) **भाषिणी (Bhashini) और भाषा मॉडल:** भारत सरकार की 'भाषिणी' पहल, मशीन अनुवाद और स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक यह सुनिश्चित कर रही हैं कि निरक्षर या अल्प-पढ़े-लिखे नागरिक भी बोलकर (Voice-based interface) सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें।

2) **प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** AI का प्रयोग मसौदा-लेखन (Drafting), फाइलों के सार-संक्षेप, डेटा विश्लेषण और पारिभाषिक समन्वय के लिए सहयोगी उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

3) **मानवीय संपादन की अनिवार्यता:** सरकारी आदेशों में एक शब्द की त्रुटि अर्थ का अनर्थ कर सकती है. अतः AI आधारित प्रणालियों में सटीकता, संदर्भानुकूलता और मानवीय समीक्षा (Human-in-the-loop) सर्वोपरि होनी चाहिए।

7. **बहुभाषिक भारत: राजभाषा 'प्रतिस्पर्धी' नहीं, 'सहयात्री'**

भारत में राजभाषा का विकास किसी अन्य प्रांतीय भाषा के स्थान पर नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के साथ एक **सहयोगात्मक भाषाई तंत्र (Linguistic Ecosystem)** के रूप में होना चाहिए।

- **संवाद का सेतु:** हिंदी देश के विभिन्न राज्यों के बीच अंतर-क्षेत्रीय संपर्क की स्वाभाविक कड़ी का कार्य करती है, जबकि स्थानीय भाषाएँ क्षेत्रीय स्तर पर शासन की गहरी पहुँच सुनिश्चित करती हैं।

- **परस्पर भाषाई आदान-प्रदान:** केंद्र और राज्यों के बीच की भाषा नीति ऐसी हो जो भाषाई विविधता को बाधा न मानकर राष्ट्र की सामूहिक सांस्कृतिक व प्रशासनिक शक्ति के रूप में स्वीकार करे।

8. संस्थागत चुनौतियाँ और व्यावहारिक नीतिगत मार्ग

राजभाषा को राष्ट्र निर्माण का व्यावहारिक साधन बनाने के लिए कुछ प्रमुख बाधाओं को दूर करना आवश्यक है:

चुनौतियाँ

- **औपनिवेशिक मानसिकता व भाषाई जड़ता:** यह भ्रांति कि गंभीर नीतिगत और विधिक चिंतन केवल विदेशी भाषा में ही संभव है।

- **अति-संस्कृतनिष्ठ या अस्वाभाविक मशीनी अनुवाद:** ऐसा कृत्रिम अनुवाद जो सामान्य नागरिक के लिए मूल अंग्रेज़ी से भी अधिक कठिन और अबूझ हो जाए।

नीतिगत समाधान

- **सहज और लोकप्रचलित भाषा का अंगीकरण:** प्रशासनिक पत्राचार में बोलचाल के प्रचलित शब्दों और व्यावहारिक तकनीकी शब्दावली को निसंकोच स्थान दिया जाए।

- **प्रशासनिक प्रशिक्षण में भाषा का समावेश:** लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) सहित सभी सिविल सेवा संस्थानों में अधिकारियों को जनोन्मुखी और व्यावहारिक भाषा में टिप्पण व प्रारूपण का गहन प्रशिक्षण दिया जाए।

- **लैंग्वेज-फर्स्ट (Language-First) आर्किटेक्चर:** डिजिटल गवर्नेंस के सभी सॉफ्टवेयर, फॉर्म और मोबाइल ऐप प्राथमिक रूप से बहुभाषी रूप में डिजाइन किए जाएँ।

निष्कर्ष: संवाद से विश्वास, विश्वास से विकास

राजभाषा से राष्ट्र निर्माण की यात्रा किसी एक विभाग या मंत्रालय का औपचारिक दायित्व नहीं है; यह शासन, समाज, तकनीक और नागरिक की एक सामूहिक विकास-यात्रा है। राजभाषा का वास्तविक मूल्य उसके प्रयोग के औपचारिकता-आँकड़ों से नहीं, बल्कि जनजीवन पर पड़ने वाले उसके सकारात्मक प्रभाव से तय होता है. जब शासन की भाषा जनता की अपनी भाषा बन जाती है, तब नीतियाँ फाइलों से निकलकर नागरिकों के जीवन को संवारने लगती हैं।

भाषा, प्रशासन और विकास वास्तव में एक समतामूलक, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव है. जिस दिन देश का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भाषाई अवरोध के अपनी सरकार से संवाद करने और अपने अधिकार पाने में सक्षम हो जाएगा, उसी दिन राष्ट्र निर्माण की यह संकल्पना अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करेगी।

* * * * *

भाषा केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय पहचान और विकास की रीढ़ है। जब शासन अपनी भाषा में बोलता है, तभी वह जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी होता है।"

– भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी
भारत के पूर्व प्रधान मंत्री

सरकारी कामकाज की भाषा में सरलता
कठिन हिंदी से सहज हिंदी की ओर

श्री संदीप कुमार
प्रबंधक

सरकारी कामकाज में भाषा का महत्त्व

सरकारी कामकाज में भाषा का विशेष महत्त्व है । शासन की नीतियाँ, योजनाएँ, आदेश, निर्देश और सूचनाएँ भाषा के माध्यम से ही अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों तक पहुँचती हैं । इसलिए कार्यालयीन भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसे पढ़ने और समझने में अनावश्यक कठिनाई न हो और इसका अर्थ भी स्पष्ट हो । जब प्रशासनिक भाषा सरल, स्वाभाविक और बोधगम्य होती है, तब नागरिकों और शासन के बीच की दूरी कम होती है । कार्यालयीन कामकाज की भाषा जितनी स्पष्ट और सहज होगी, सूचना का संप्रेषण उतना ही प्रभावी होगा । सरल भाषा का अर्थ भाषा की गरिमा को कम करना नहीं है बल्कि विचारों को स्पष्ट, संक्षिप्त और सहज रूप में प्रस्तुत करना है।

सरल भाषा की आवश्यकता

सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पत्र, कार्यालय ज्ञापन, आदेश, टिप्पणियाँ, प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाते हैं । इन दस्तावेजों का उद्देश्य किसी विषय की जानकारी देना, नियमों को प्रकाशित करना, निर्णय को स्पष्ट करना, सूचना देना, या आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश देना होता है । यदि भाषा बहुत कठिन, लंबे वाक्यों वाली या अनावश्यक रूप से जटिल होगी, तो पाठक को मूल बात समझने में अधिक समय लगेगा या उसका मूल अर्थ ही प्रभावित हो जाएगा जिसके कारण कार्य की प्रभावशीलता, सटीकता और गति भी प्रभावित हो सकती है । सरकारी कामकाज में सरल भाषा के प्रयोग से कार्य में स्पष्टता आती है । अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा होती है, कर्मचारी को निर्देश समझने में आसानी होती है और नागरिक को सरकारी सूचना का सही अर्थ समझ में आता है । इस प्रकार, सरल भाषा प्रशासन को अधिक प्रभावी और लोक-केंद्रित/जनहितेषी बनाने में सहायता करती है ।

सरल हिंदी का अर्थ

सरल हिंदी का अर्थ यह नहीं है कि कार्यालयीन भाषा में केवल बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाए । बल्कि सरलता का अर्थ है कि जहाँ कठिन शब्द के स्थान पर प्रचलित और स्पष्ट शब्द उपलब्ध हो, वहाँ सरल शब्द को प्राथमिकता दी जाए । सरकारी भाषा में अनेक मानक प्रशासनिक और विधिक शब्द प्रचलित हैं । ऐसे शब्दों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए । सरकारी कामकाज में विषय के अनुसार उपयुक्त और मानक शब्दावली का प्रयोग आवश्यक है । केवल भाषा को अधिक गंभीर या प्रभावशाली बनाने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है । उद्देश्य यह होना चाहिए कि वाक्य छोटा, स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से सही हो । इससे भाषा अधिक स्वाभाविक बनती है और अर्थ भी स्पष्ट रहता है ।

कुछ उदाहरण

कठिन/औपचारिक प्रयोग	सहज एवं व्यावहारिक प्रयोग
उक्त प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है ।	उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जानी है ।
यथोचित अग्रेषित।	उचित कार्रवाई हेतु आगे भेजा गया ।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि...	सूचित किया जाता है कि...
अनुपालन सुनिश्चित करें ।	नियम का पालन करें ।
उक्त प्रपत्र संलग्न है ।	यह फॉर्म साथ में संलग्न है ।
व्यपगत होना ।	समाप्त होना ।
अग्रेतर कार्रवाई ।	आगे की कार्रवाई ।
शीघ्रातिशीघ्र ।	शीघ्र ।
उपर्युक्तानुसार ।	उपर्युक्त के अनुसार ।

हालाँकि, सरलता के नाम पर ऐसे मानक प्रशासनिक या विधिक शब्दों को हटाना उचित नहीं है, जिनका कोई विशिष्ट अर्थ हो । जहाँ आवश्यक हो, वहाँ प्रचलित मानक शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

लंबे वाक्यों से बचना

कार्यालयीन भाषा में कई बार एक ही वाक्य में अनेक बातें जोड़ दी जाती हैं । इससे वाक्य लंबा और समझने में कठिन हो जाता है । कार्यालयीन कामकाज में बेहतर है कि अलग-अलग विचारों के लिए छोटे और स्पष्ट वाक्य बनाए जाएँ । उदाहरण के लिए—

जटिल वाक्य:

"सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित आवश्यक सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर, सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।"

सरल रूप:

"सभी संबंधित अधिकारी अपने विभाग से संबंधित आवश्यक सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरें। सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सूचना निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को भेजें ।"

दूसरे रूप में निर्देश अधिक स्पष्ट है और कार्रवाई के क्रम को भी आसानी से समझा जा सकता है।

अनावश्यक शब्दों से बचें

सरकारी लेखन में कई बार औपचारिकता के कारण ऐसे शब्दों का बार-बार प्रयोग किया जाता है, जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती । इससे वाक्य अनावश्यक रूप से भारी हो जाता है । जहाँ अर्थ में कोई कमी न आए, वहाँ अनावश्यक शब्दों को हटाना उचित है । जैसे—

- "इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि..." के स्थान पर "सूचित किया जाता है कि..." लिखा जा सकता है ।
- "उपरोक्त विषय के संबंध में" के स्थान पर "उपरोक्त विषय पर" लिखा जा सकता है ।

हालाँकि, शब्दों को हटाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का अर्थ, संदर्भ और कार्यालयीन मर्यादा बनी रहे ।

तकनीक के युग में सहज हिंदी

आज सरकारी कामकाज का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यमों से किया जा रहा है । ई-ऑफिस, ई-मेल, पोर्टल, डिजिटल फाइल और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते प्रयोग के कारण कार्यालयीन भाषा का दायरा भी बढ़ा है । डिजिटल माध्यम में भाषा का संक्षिप्त, स्पष्ट एवं सहज होना और अधिक आवश्यक हो गया है । नागरिक जब किसी सरकारी वेबसाइट, पोर्टल या संदेश को पढ़ता है, तो वह कम समय में सही जानकारी प्राप्त करना चाहता है । इसलिए डिजिटल सामग्री में सरल वाक्य, स्पष्ट शीर्षक और सीधे निर्देश अधिक उपयोगी होते हैं ।

उदाहरण के लिए, "आवेदन प्रस्तुत किए जाने के उपरांत संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा" की जगह "आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी उसका परीक्षण करेंगे" लिखा जा सकता है । दूसरे वाक्य में बात अधिक सीधे और सहज रूप में कही गई है ।

सरल भाषा और राजभाषा

राजभाषा का प्रयोग केवल भाषा के रूप में नहीं, बल्कि प्रभावी प्रशासनिक संचार के माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए । हिंदी में सरकारी कामकाज बढ़ाने के साथ यह भी आवश्यक है कि हिंदी में तैयार सामग्री सहज, स्पष्ट और समझने योग्य हो । इससे कर्मचारियों में हिंदी में कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ता है और नागरिकों तक सरकार की नीतियां, योजनाओं आदि की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचती हैं । सरल हिंदी का अर्थ भाषा के स्तर को कम करना नहीं है, बल्कि भाषा को अधिक उपयोगी बनाना है । शुद्धता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और सहजता—इन चारों का संतुलन कार्यालयीन लेखन की विशेषता होनी चाहिए ।

निष्कर्ष

सरकारी कामकाज की भाषा में सरलता समय की आवश्यकता है । कठिन और जटिल भाषा के स्थान पर स्पष्ट, सहज और व्याकरण सम्मत हिंदी का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकता है । सरल भाषा अपनाने का उद्देश्य न तो भाषा की गंभीरता कम करना है और न ही मानक शब्दावली को छोड़ना । उद्देश्य केवल इतना है कि आवश्यकतानुसार उचित, स्पष्ट और समझने योग्य शब्दों का प्रयोग किया जाए ।

हमें ऐसी हिंदी अपनानी चाहिए, जो **सरल हो, लेकिन साधारण नहीं; शुद्ध हो, लेकिन बोझिल नहीं; प्रभावी हो, लेकिन जटिल नहीं ।** जब सरकारी भाषा सहज होगी, तब कार्यालयीन कार्यों में स्पष्टता बढ़ेगी और शासन तथा नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी बनेगा । यही **कठिन हिंदी से सहज हिंदी की ओर सार्थक एवं सरल यात्रा** है ।

*** * * * ***

एआई के दौर में राजभाषा अधिकारी की बदलती भूमिका

(विनय सिंह बैस)
सहायक निदेशक, लोकसभा सचिवालय

भारत में राजभाषा का उद्देश्य केवल अनुवाद करना नहीं है, बल्कि प्रशासन को जनता की भाषा में जोड़ना है। लंबे समय तक राजभाषा अधिकारी की भूमिका को फाइलों में हिंदी टिप्पणी लिखने, अनुवाद करने और तिमाही रिपोर्ट बनाने तक सीमित समझा जाता रहा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में यह भूमिका पूरी तरह बदल रही है।

1. अनुवादक से भाषा प्रबंधक तक:

पहले राजभाषा अधिकारी का सबसे बड़ा काम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद था। आज Google Translate, Bhashini, और ChatGPT जैसे टूल सेकंडों में अनुवाद कर देते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि अधिकारी की जरूरत खत्म हो गई, बल्कि उसकी भूमिका बदल गई है। अब उसे अनुवादक नहीं, बल्कि भाषा का संपादक, समीक्षक और गुणवत्ता नियंत्रक बनना होगा। एआई अक्सर शाब्दिक अनुवाद करता है, जिसमें सरकारी भाषा की गरिमा, विधिक शब्दावली और भाव नहीं होता। राजभाषा अधिकारी का काम है एआई द्वारा किए गए अनुवाद को परिमार्जित कर उसे राजभाषा अधिनियम के अनुरूप बनाए।

2. नई जिम्मेदारियाँ

(क) **एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में:** अब कार्यालय में सही हिंदी में पत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए एआई को सही निर्देश देना एक कला है। राजभाषा अधिकारी वह व्यक्ति होगा जो कर्मचारियों को सिखाएगा कि "बेहतर हिंदी आउटपुट के लिए एआई से कैसे पूछा जाए।"

(ख) **तकनीक और भाषा के बीच सेतु:** Bhashini जैसे राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन में राजभाषा अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह अपने विभाग की शब्दावली, संक्षिप्ताक्षर और तकनीकी शब्दों का डेटाबेस बनाकर एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता है।

(ग) **हिंदी को सहज बनाने का दूत:** एआई ने हिंदी टाइपिंग का डर खत्म कर दिया है। अब वॉयस-टू-टेक्स्ट से कोई भी हिंदी में नोट लिख सकता है। राजभाषा अधिकारी का काम डराने वाला निरीक्षक नहीं, बल्कि प्रेरक बनना है। उसे कार्यशालाओं में यह बताना होगा कि एआई टूल्स का उपयोग करके हिंदी में काम करना अंग्रेजी से भी आसान है।

(घ) **डिजिटल सामग्री का प्रबंधक:** आज वेबसाइट, सोशल मीडिया, चैटबॉट सब हिंदी में चाहिए। राजभाषा अधिकारी अब केवल फाइलों का अधिकारी नहीं, बल्कि विभाग की वेबसाइट, ट्विटर/एक्स और जनता से जुड़ने वाले चैटबॉट की भाषा का संरक्षक है।

3. चुनौतियाँ

एआई हिंदी को सरल तो बना रहा है, पर राजभाषा की एकरूपता को भी बिगाड़ रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण चुनौती यह कि एआई पर अत्यधिक निर्भरता से भाषा में अशुद्धता और मौलिक चिंतन की कमी आ सकती है। कई बार एआई गलत संदर्भ में गलत शब्द प्रयोग कर देता है। उदाहरण:-

वाक्यांश -

(i) Startup engagement - स्टार्टअप सगाई मंच

(ii) Demonetization - दानवीकरण

(iii) Steel Articles - इस्पात लेख

वाक्य:-

(i) Chief of the Army Ngo Dinh Diem replaced the king Bao Die.
दक्षिण वियतनाम के सशत्र बलों के प्रमुख 'गैर सरकारी संगठन' डीन्ह डिएम ने राजा बाओ डाइ को सत्ता से हटा दिया।

(ii) The politburo and The Central committee are the two arms of CPI.
पोलितब्यूरो और केंद्रीय समिति सीपीआई के दो हथियार हैं।

और सबसे बेहतरीन

(iii) Ladies changeover room
महिलाओं को बदलने का स्थान।

हालांकि अनुवाद में एआई प्रयोग के लाभ भी बहुत हैं :-

(i) एक अनुभवी और पेशेवर अनुवादक कई बार काफी महंगा पड़ सकता है। एआई अनुवाद यह काम निःशुल्क करता है।

(ii) एआई ट्रांसलेट काफी तेज है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है।

(iii) जहां एक अनुभवी अनुवादक दिन भर में करीब 2000 शब्दों यानी तीन-चार सौ शब्द प्रति घंटे का अनुवाद कर सकता है वहीं दूसरी ओर एआई ट्रांसलेट कुछ ही सेकंड में इतने शब्दों का अनुवाद कर सकता है।

(iv) जिस फाइल में तमाम तरह की टेबल और चार्ट बने रहते थे, कंप्यूटर (एमएस ऑफिस) का ज्ञान न रखने वाले अनुवादको के लिए उस फ़ाइल का अनुवाद करना बड़ा मुश्किल कार्य हुआ करता था। क्योंकि हाथ से टेबल और चार्ट बनाना आसान नहीं है और कंप्यूटर से यह करना सबके बस की बात नहीं है। किंतु अब यह कार्य बेहद आसान हो गया है क्योंकि एआई अनुवाद फॉर्मेट से छेड़छाड़ नहीं करता है।अनुवाद में कुछ भी गलती हो जाए लेकिन फॉर्मेट वही रहता है। अब एआई अनुवाद से पूरी फाइल का एक साथ अनुवाद किया जाए तो भी उसका फॉर्मेट बिगड़ता नहीं है ।

(v) सरकार के उन कार्यालयों में जहां अनुवादकों को एक दिन में 10-12 पेज तक का अनुवाद करना पड़ता है, वहाँ पर इतने पेज का अनुवाद हाथ से करना अत्यंत श्रमसाध्य था। बाद के पेज की राइटिंग गड़बड़ होने लगती थी और जिनकी राइटिंग खराब है, उनका अनुवाद पढ़ना टाइपिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। एआई ज़्यादातर अनुवाद और टाइपिंग खुद ही कर देता है। अतः टाइपिंग का थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाला अनुवादक थोड़े बहुत सुधार के साथ टाइप किया हुआ अनुवाद प्रस्तुत कर सकता है। इससे संपादक और प्रूफ रीडर का कार्य काफी आसान हो जाता है।

4. एआई की सीमाएं:-

(i) एआई अनुवाद सरल सीधा अनुवाद तो आसानी से कर लेता है लेकिन तकनीकी और क्लिष्ट भाषा का सटीक अनुवाद नहीं कर पाता है।

(ii) अनुवाद की गुणवत्ता भाषा पर निर्भर करती है। कौन सी भाषाएं इसमें शामिल हैं उनसे भी काफी फर्क पड़ता है। एआई का डेटाबेस मुख्य रूप से ऑनलाइन के आधार पर बनाया गया था। इसलिए खासकर इंग्लिश और स्पेनिश अनुवाद ज्यादा सही मिलते हैं जबकि अन्य भाषाओं का डेटाबेस कम तैयार है जिनमें ग्रामर की अक्सर गलतियां दिख जाती हैं ।

(iii) इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

(iv) एआई ट्रांसलेशन गोपनीय नहीं रह पाता है। जिन कार्यालयों में गोपनीयता आवश्यक है, वहां इसकी सीमित उपयोगिता है।

(v) एआई ट्रांसलेट के साथ लिंग भेद का आरोप भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि- यह सभी चिकित्सकों को पुरुष और नर्सों को महिला मानता है।

5. एआई तकनीक और राजभाषा अधिकारी की बदलती जिम्मेदारियां:-

राजभाषा अधिकारी को केवल अनुवादित सामग्री तैयार नहीं करनी होती, बल्कि यह भी देखना होता है कि कार्यालय में हिंदी का प्रयोग स्वाभाविक, प्रभावी और जनोपयोगी हो। इसके साथ-साथ उसे डिजिटल माध्यमों पर

हिंदी सामग्री की गुणवत्ता, ईमेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया और प्रशिक्षण सामग्री की भाषा पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब उसकी भूमिका में तीन नए आयाम प्रमुख हो गए हैं:

(i) एआई-उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग।

(ii) भाषा की शुद्धता बनाये रखना।

(iii) कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना।

6. एआई वरदान है या अभिशाप:-

महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने विज्ञान के लिए कहा था कि विज्ञान दोधारी तलवार है। इसी तरह एआई का सही उपयोग समय और श्रम बचाता है। आवास का ढांचा यह खड़ा कर देता है, जिस पर सुसज्जित घर बनाना आसान हो जाता है। किन्तु यदि एआई को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए तो यह अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। कहने का अर्थ यह कि साधारण अनुवाद के लिए तो एआई ट्रांसलेट का सहारा लिया जा सकता है लेकिन जहां पर दो देशों के रिश्ते, राजनीतिक/कूटनीतिक मामले या वित्तीय लेन-देन शामिल हो ऐसे मामलों में एआई अनुवाद कभी नहीं किया जाना चाहिए।

7. भविष्य की दिशा:-

भविष्य का राजभाषा अधिकारी एआई-विरोधी नहीं, बल्कि एआई-सहायक होगा। उसे एआई की मदद से गति बढ़ानी होगी, लेकिन साथ ही भाषा की आत्मीयता, संस्थागत मर्यादा और संवैधानिक उद्देश्य को बनाए रखना होगा। संक्षेप में, एआई के दौर में राजभाषा अधिकारी का काम कम नहीं हुआ है, बल्कि और अधिक सार्थक हो गया है। अब वह केवल शब्दों का अनुवादक नहीं, बल्कि भाषा-संस्कृति, प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल भारत के बीच सेतु बनाने वाला अधिकारी है ।

निष्कर्ष:

किसी भी मशीन की तरह एआई राजभाषा अधिकारी के कार्य को आसान बनाता है। किन्तु यह भावनाओं और संदर्भ का ख्याल किए बिना सिर्फ और सिर्फ शब्दों का अनुवाद करता है। यदि अधिकारी स्वयं ही एआई पर निर्भर हो गया तो भाषा की गुणवत्ता गिरेगी। इसीलिए एआई अनुवाद साधन है, साध्य नहीं। एआई अत्याधुनिक मशीन ही है और मशीन का मानव बनना अभी भी शेष है।

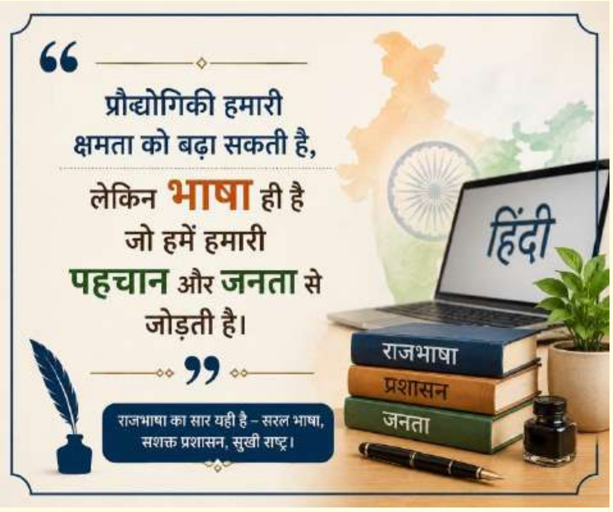

* * * * *

साइबर स्पेस और ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में राजभाषा

हिमांशु बरेजा
सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रस्तावना

21वीं सदी ज्ञान, सूचना और तीव्र तकनीकी संक्रांति की सदी है। वर्तमान युग में किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि वह ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी नवाचार समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस सुगमता से पहुँच रहा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल लोकतंत्र में राजभाषा हिन्दी केवल प्रशासनिक पत्राचार की भाषा नहीं है, बल्कि यह जन-संवाद, नवाचार और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार का सशक्त माध्यम बनने की क्षमता रखती है।

भारत जैसे बहुभाषी और विशाल जनसांख्यिकी वाले देश में राजभाषा हिंदी की भूमिका केवल प्रशासनिक पत्राचार तक सीमित नहीं रह सकती। यदि हमें वैज्ञानिक सोच (Scientific Temperament) को जन-जन तक पहुँचाना है और देश के अंतिम व्यक्ति को तकनीकी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है, तो साइबर स्पेस और ज्ञान-विज्ञान की अभिव्यक्ति को राजभाषा के माध्यम से सशक्त बनाना अनिवार्य होगा।

साइबर स्पेस में राजभाषा का वर्तमान परिदृश्य

साइबर स्पेस भौतिक सीमाओं से परे एक ऐसा अदृश्य महासागर है जहाँ सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान होता है। पिछले एक दशक में यूनिकोड के सर्वव्यापी प्रसार, वॉयस रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और बड़े भाषा मॉडलों (LLMs) के आगमन से साइबर जगत में भारतीय भाषाओं की उपस्थिति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

आज का साइबर स्पेस केवल सोशल मीडिया और वेबसाइट्स तक सीमित नहीं है; यह सुपरकंप्यूटिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस जैसे जटिल विषयों का केंद्र बन चुका है। ऐसे में यदि राजभाषा केवल अनुवाद तक सीमित रह जाएगी, तो वह इस तीव्र गति से बदलते परिदृश्य में पिछड़ सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी को 'अनुवाद की भाषा' से आगे बढ़ाकर 'मूल चिंतन और मौलिक अनुसंधान की भाषा' बनाया जाए। विगत दो दशकों में इंटरनेट और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने भाषा के प्रयोग के तौरतरीकों को - :पूरी तरह बदल दिया है

1. **यूनिकोड और भाषाई क्रांति:** यूनिकोड मानक के लागू होने के बाद देवनागरी लिपि का साइबर स्पेस में प्रवेश सुगम हुआ। आज वेबसाइट्स, सर्च इंजन, सोशल मीडिया और मोबाइल ऍप्लिकेशन्स में हिंदी सहजता से उपलब्ध है।

2. **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एनएलपी (NLP):** प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing), वॉइस असिस्टेंट (जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा) और आधुनिक जेनरेटिव एआई टूल्स अब हिंदी भाषा में अत्यंत प्रभावी ढंग से संवाद करने लगे हैं।

3. **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** वित्तीय समावेशन (UPI, नेट बैंकिंग), ई-गवर्नेंस पोर्टल्स, आरोग्य सेतु, डिजीलॉकर और उमंग जैसे मंचों ने यह सिद्ध कर दिया है कि आम जनता को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए राजभाषा और स्थानीय भाषाएँ ही सबसे सशक्त माध्यम हैं।

ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी अनुसंधानों की भाषा के रूप में हिंदी आवश्यकता

जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस और चीन जैसे राष्ट्रों का उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ प्राथमिक से लेकर उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान अपनी भाषाओं में किए जाते हैं। जब एक युवा वैज्ञानिक या शोधार्थी अपनी भाषा में विचार करता है, तो उसकी मौलिक कल्पनाशीलता और नवाचार क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं (जैसे ISRO, DRDO, CSIR, ICMR, IITs) में होने वाले अनुसंधानों का लाभ तभी समाज तक पहुँचेगा, जब किसान, उद्यमी, शिल्पकार और विद्यार्थी उन्हें अपनी भाषा में समझ और अपना सकेंगे।

साइबर स्पेस में राजभाषा की उपस्थिति और संभावनाएँ

इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों के लोकतंत्रीकरण ने भाषा की बाधाओं को तेजी से तोड़ा है। यूनिकोड प्रणाली, वॉयस-टू-टेक्स्ट, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) और बड़े भाषा मॉडलों (LLMs) के आगमन से साइबर स्पेस में हिंदी का उपयोग अत्यधिक बढ़ा है। आज शासकीय पोर्टल्स, ई-गवर्नेंस सेवाएँ और अनुसंधान पत्र डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध हो रहे हैं। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि राजभाषा तकनीकी अभिव्यक्ति में किसी अन्य भाषा से कमतर नहीं है। परंतु जब बात मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधानों, नैनो-प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे गूढ़ विषयों की आती है, तो इन्हें सरल व सुबोध रूप में आम जन और छात्रों तक पहुँचाने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधानों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की चुनौतियाँ

1. **पारिभाषिक शब्दावली की दुरूहता और कृत्रिमता:** वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद के दौरान अक्सर ऐसे संस्कृतनिष्ठ और अप्रचलित शब्दों का चयन कर लिया जाता है, जो सामान्य पाठक के लिए समझना अत्यंत कठिन होता है। उदाहरण के लिए, आम बोलचाल में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का शाब्दिक और जटिल अनुवाद समझ में बाधक बन जाता है।

2. **मानकीकृत डिजिटल ज्ञान-कोश और संदर्भ सामग्री का अभाव:** उच्च स्तरीय वैज्ञानिक शोध पत्र (Research Papers), डेटासेट्स और संदर्भ ग्रंथ बहुतायत में अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। साइबर स्पेस में हिंदी में अद्यतन वैज्ञानिक सामग्री का डेटाबैंक अभी भी तुलनात्मक रूप से सीमित है।

3. **अनुसंधान संस्थानों में भाषाई मानसिकता:** अनुसंधान जगत में एक अघोषित पूर्वग्रह रहा है कि विज्ञान और उच्च तकनीक केवल अंग्रेजी में ही प्रभावी ढंग से व्यक्त की जा सकती है। इससे शोध पत्रों को हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का उत्साह कम रहता है।

4. **मशीनी अनुवाद (Machine Translation) की सीमाएँ:** स्वचालित अनुवाद टूल्स वैज्ञानिक संदर्भ (Context), प्रतीकों और पारिभाषिक अर्थों को सही ढंग से नहीं पकड़ पाते, जिससे अनुवादित सामग्री का भावार्थ अशुद्ध या हास्यास्पद हो जाता है।

5. **नवीनतम शोधों का विलंबित अनुवाद:** वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक प्रगति प्रति क्षण हो रही है। जब तक किसी नए अनुसंधान का अनुवाद हिंदी में उपलब्ध होता है, तब तक ज्ञान का नया चरण प्रारंभ हो चुका होता है।

व्यावहारिक समाधान एवं भावी कार्ययोजना

1. **'लोक-प्रचलित' और 'बोधगम्य' शब्दावली का प्रयोग:** वैज्ञानिक अभिव्यक्ति में शुद्धतावाद (Purism) के स्थान पर संप्रेषणीयता (Communicability) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि कोई अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्द (जैसे कंप्यूटर, ऑक्सीजन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, डीएनए, न्यूरॉन) समाज में घुल-मिल चुका है, तो उसे देवनागरी में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए।

2. **'अनुसंधान सारांश' की द्वैध नीति (Dual Publishing Policy):** सभी राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं और अनुसंधान संस्थानों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रकाशित शोध पत्र के साथ उसका एक सरल, लोकप्रिय और बोधगम्य सारांश (Layman's Abstract) हिंदी में भी प्रकाशित किया जाए।

3. **साइबर स्पेस में ओपन-एक्सेस ज्ञान मंचों का विकास:** वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT), विज्ञान प्रसार, राजा रामanna प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र आदि के सहयोग से एक राष्ट्रीय एकीकृत डिजिटल ज्ञान-पोर्टल स्थापित किया जाए, जहाँ विज्ञान, अंतरिक्ष, चिकित्सा, नैनोटेक्नोलॉजी और एआई के विषयों पर स्तरीय ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर्स और पॉडकास्ट निःशुल्क उपलब्ध हों।

4. **वैज्ञानिक संचारकों (Science Communicators) का संवर्ग तैयार करना:** वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच की खाई को पाटने के लिए ऐसे दुभाषियों/विज्ञान पत्रकारों की आवश्यकता है, जो जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को कहानियों, रूपकों और सरल आलेखों के रूप में साइबर स्पेस (ब्लॉग्स, यूट्यूब, इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया) पर प्रस्तुत कर सकें।

5. **भारतीय भाषाओं के लिए विशिष्ट एआई और एलएलएम (LLMs) का संवर्धन:** 'भाषिणी' (BHASHINI) जैसी राष्ट्रीय पहलों को सुदृढ़ किया जाए, ताकि न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन के माध्यम से उच्च स्तरीय शोध पत्रों का वास्तविक समय (Real-time) में सटीक और गुणवत्तापूर्ण हिंदी अनुवाद संभव हो सके।

निष्कर्ष

साइबर स्पेस में राजभाषा का भविष्य केवल आंकड़ों और फाइलों के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के बौद्धिक पुनर्जागरण का आधार है। जब क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, जीनोमिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक विषयों पर हमारी राजभाषा में चिंतन, विमर्श और मौलिक अनुसंधान होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार कर सकेंगे। ज्ञान की भाषा जितनी सहज और लोकतांत्रिक होगी, देश का विकास उतना ही समावेशी होगा। आइए, हम अपने कार्यालयीन और बौद्धिक जीवन में राजभाषा को ज्ञान-विज्ञान और नवाचार की अग्रणी भाषा बनाने का संकल्प लें। ज्ञान-विज्ञान तभी सार्थक है जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाए। साइबर स्पेस के इस युग में राजभाषा हिंदी को तकनीक की शक्ति से जोड़कर हम विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकालकर जन-जन की चौखट तक पहुँचा सकते हैं। सरल, व्यावहारिक और डिजिटल-सक्षम राजभाषा ही आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न भारत की आधारशिला बनेगी।

जब विज्ञान अपनी प्रयोगशालाओं की चारदीवारी से निकलकर जनसाधारण की भाषा में बोलने लगता है, तभी एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत समाज का निर्माण होता है। साइबर स्पेस ने हमें एक ऐसा विराट मंच दिया है जहाँ राजभाषा हिन्दी को वैश्विक ज्ञान-विज्ञान की संवाहक भाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

चुनौतियाँ अवश्य हैं, किंतु सुगम शब्दावली, आधुनिक भाषा-प्रौद्योगिकी और दृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति के समन्वय से राजभाषा को 21वीं सदी के ज्ञान-विज्ञान की धड़कन बनाया जा सकता है।

* * * * *

डिजिटल युग में हिंदी : कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा प्रौद्योगिकी की नई संभावनाएँ

श्रीमती अनामिका मेहरा
साफ्टवेयर इंजीनियर

प्रस्तावना

आज का युग डिजिटल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारे कार्य करने, सीखने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को व्यापक रूप से बदल दिया है। इस परिवर्तन में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीक का वास्तविक लाभ तभी व्यापक समाज तक पहुँच सकता है, जब वह लोगों की अपनी भाषा में उपलब्ध हो। हिंदी भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त भाषा है। डिजिटल माध्यमों में हिंदी का बढ़ता प्रयोग इस बात का संकेत है कि भारतीय भाषाएँ आधुनिक तकनीक के साथ निरंतर आगे बढ़ रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence—AI), मशीन अनुवाद, वाक्-प्रौद्योगिकी और यूनिकोड जैसी तकनीकों ने हिंदी के डिजिटल प्रयोग को अधिक सुविधाजनक और व्यापक बनाया है।

डिजिटल दुनिया में हिंदी का बढ़ता प्रयोग

एक समय कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना अपेक्षाकृत कठिन माना जाता था। अलग-अलग फॉन्ट और टाइपिंग प्रणालियों के कारण एक कंप्यूटर पर तैयार की गई हिंदी सामग्री दूसरे कंप्यूटर पर सही दिखाई नहीं देती थी। आज स्थिति काफी बदल गई है। वेब-साइट, ई-मेल, मोबाइल एप्लिकेशन, सोशल मीडिया, डिजिटल दस्तावेज और ऑनलाइन सेवाओं में हिंदी का प्रयोग सामान्य होता जा रहा है। इससे हिंदी केवल मुद्रित माध्यम की भाषा न रहकर डिजिटल संचार की प्रभावी भाषा के रूप में भी स्थापित हो रही है।

यूनिकोड : हिंदी के डिजिटल विकास की आधारशिला

हिंदी के डिजिटल विस्तार में यूनिकोड का विशेष महत्व है। यूनिकोड एक मानक कूट प्रणाली है, जिसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं के अक्षरों और चिह्नों को कंप्यूटर तथा अन्य डिजिटल उपकरणों में एक समान ढंग से निरूपित किया जा सकता है। यूनिकोड के कारण हिंदी में तैयार सामग्री को विभिन्न कंप्यूटरों, मोबाइल उपकरणों और डिजिटल मंचों पर साझा करना अधिक सुविधाजनक हुआ है। हिंदी टाइपिंग, दस्तावेज तैयार करने, वेबसाइट विकसित करने और डिजिटल अभिलेख बनाने में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। इसलिए आज हिंदी में डिजिटल कार्य करते समय यूनिकोड आधारित टाइपिंग और फॉन्ट का प्रयोग करना उपयोगी और व्यावहारिक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी तकनीकों का समूह है, जिनकी सहायता से कंप्यूटर प्रणालियाँ कुछ ऐसे कार्य कर सकती हैं जिनमें सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। भाषा के क्षेत्र में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।भाषा से संबंधित AI तकनीकों में पाठ का विश्लेषण, अनुवाद, वाक् को पाठ में बदलना, पाठ को आवाज में बदलना, प्रश्नों के उत्तर तैयार करना तथा सामग्री को व्यवस्थित करना आदि कार्य शामिल हैं। इन तकनीकों ने हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं के डिजिटल उपयोग की संभावनाओं को बढ़ाया है

हिंदी में AI टूल की उपयोगिता

आज अनेक प्रकार के AI आधारित टूल उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हिंदी लेखन और भाषा संबंधी कार्यों में सहायता के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी लंबे पाठ का सार तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, भाषा को सरल बनाना, अनुवाद में सहायता लेना या किसी विषय पर प्रारंभिक जानकारी व्यवस्थित करना संभव है। कार्यालयी कार्यों में भी ऐसे टूल प्रारंभिक मसौदा तैयार करने, सूचना को व्यवस्थित करने और दोहराए जाने वाले भाषा संबंधी कार्यों में समय बचाने में सहायक हो सकते हैं। हालाँकि, AI टूल को भाषा-विशेषज्ञ या अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। विशेषकर सरकारी अथवा कार्यालयी दस्तावेजों में तथ्य, संदर्भ, नाम, पदनाम, संख्याएँ और तकनीकी शब्दों की मानव स्तर पर जाँच आवश्यक है।

मशीन अनुवाद और हिंदी

मशीन अनुवाद ने विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद को सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सामग्री के आदान-प्रदान में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। मशीन अनुवाद किसी सामग्री का प्रारंभिक अनुवाद शीघ्र उपलब्ध करा सकता है। इससे समय की बचत होती है और बड़ी मात्रा में सामग्री को दूसरी भाषा में समझने में सुविधा मिलती है। फिर भी प्रत्येक अनुवाद में संदर्भ, शैली और विषय की बारीकियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक, कानूनी या प्रकाशन योग्य सामग्री में मानव संपादन और भाषा-समीक्षा का महत्व बना रहेगा।

वाक्-प्रौद्योगिकी से आसान हुआ संवाद

वाक्-प्रौद्योगिकी ने डिजिटल उपकरणों के साथ संवाद का एक नया माध्यम उपलब्ध कराया है। अब उपयोगकर्ता बोलकर पाठ लिखवा सकते हैं और कुछ प्रणालियाँ लिखित सामग्री को आवाज में भी परिवर्तित कर सकती हैं। हिंदी में वाक् पहचान की सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है जिन्हें कीबोर्ड पर हिंदी टाइप करने में कठिनाई होती है। मोबाइल उपकरणों और अन्य डिजिटल सेवाओं में हिंदी आवाज आधारित सुविधाओं का विस्तार डिजिटल समावेशन की दिशा में उपयोगी कदम है।

हिंदी टाइपिंग और डिजिटल दक्षता

डिजिटल युग में हिंदी के प्रभावी प्रयोग के लिए हिंदी टाइपिंग का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। यूनिकोड आधारित हिंदी टाइपिंग के लिए विभिन्न कीबोर्ड व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता अपनी सुविधा और कार्य की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था चुन सकते हैं। कार्यालयों में कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग तथा यूनिकोड के व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण देने से हिंदी में डिजिटल कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकती हैं।

डिजिटल सामग्री की गुणवत्ता

डिजिटल माध्यम में सामग्री तेजी से तैयार और प्रसारित की जा सकती है। इसलिए भाषा की शुद्धता और तथ्यात्मक विश्वसनीयता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हिंदी डिजिटल सामग्री तैयार करते समय वर्तनी, व्याकरण, विराम-चिह्न और शब्दावली पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, अनावश्यक कठिन शब्दों के स्थान पर सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकारी और संस्थागत संचार में भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सामान्य पाठक भी सहजता से समझ सके।

AI के साथ मानवीय विवेक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोगी सहायक हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। AI द्वारा तैयार सामग्री में कभी-कभी तथ्यात्मक त्रुटि, संदर्भ की कमी या भाषा संबंधी असंगति हो सकती है। इसलिए प्राप्त सामग्री को बिना जाँच के अंतिम रूप देना उचित नहीं है। विशेष रूप से कार्यालयी आदेश, नीतिगत दस्तावेज, वित्तीय विवरण, कानूनी सामग्री और महत्वपूर्ण सार्वजनिक संचार में मूल स्रोत से तथ्यों का सत्यापन आवश्यक है। AI का सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है जब तकनीकी सुविधा के साथ मानवीय समझ और उत्तरदायित्व भी बना रहे।

हिंदी के सामने नई संभावनाएँ

डिजिटल प्रौद्योगिकी हिंदी के लिए केवल सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि नई संभावनाओं का क्षेत्र भी है। शिक्षा, प्रशासन, वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स, डिजिटल पुस्तकालयों, शोध, मीडिया और जनसंचार जैसे क्षेत्रों में हिंदी की डिजिटल उपस्थिति लगातार उपयोगी होती जा रही है। आने वाले समय में भाषा प्रौद्योगिकी के विकास से भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं की पहुँच और बढ़ सकती है। इससे ऐसे उपयोगकर्ताओं को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ने में सहायता मिल सकती है, जो अंग्रेजी की अपेक्षा भारतीय भाषाओं में अधिक सहजता से संवाद करते हैं।

राजभाषा और डिजिटल कार्यसंस्कृति

राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रयोग के लिए केवल हिंदी में दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि हिंदी का प्रयोग आधुनिक कार्यप्रणालियों और डिजिटल माध्यमों में भी सहज रूप से हो। ई-ऑफिस, डिजिटल अभिलेख, वेबसाइट, ई-मेल, ऑनलाइन प्रशिक्षण और डिजिटल प्रकाशनों में हिंदी का नियमित और गुणवत्तापूर्ण प्रयोग राजभाषा के व्यावहारिक विस्तार को मजबूत करता है। इसके लिए कर्मचारियों में भाषा के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों के प्रयोग की दक्षता विकसित करना भी आवश्यक है।

भाषा, तकनीक और समावेशी विकास

तकनीक का उद्देश्य केवल कार्य को तेज करना नहीं, बल्कि उसे अधिक सुलभ और समावेशी बनाना भी है। जब डिजिटल सेवाएँ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होती हैं, तो अधिक लोग उनका उपयोग अपनी सहज भाषा में कर पाते हैं। इस दृष्टि से भाषा प्रौद्योगिकी सामाजिक और डिजिटल समावेशन को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। हिंदी का डिजिटल विकास केवल हिंदी के विकास का विषय नहीं है; यह ऐसी डिजिटल व्यवस्था के निर्माण से भी जुड़ा है जिसमें भाषा किसी व्यक्ति के लिए बाधा न बने।

निष्कर्ष

डिजिटल युग में हिंदी का स्वरूप तेजी से विस्तृत हो रहा है। यूनिकोड ने हिंदी को डिजिटल माध्यमों में स्थिर और सुविधाजनक आधार दिया है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन अनुवाद और वाक्-प्रौद्योगिकी ने इसके प्रयोग की नई संभावनाएँ खोली हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि इन तकनीकों को भाषा की शुद्धता, तथ्यात्मक विश्वसनीयता और मानवीय विवेक के साथ अपनाया जाए। तकनीक हिंदी का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि हिंदी में कार्य को अधिक सरल, तेज, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी है।

इस प्रकार हिंदी का भविष्य केवल पुस्तकों और कागजों तक सीमित नहीं है। वह कंप्यूटर की स्क्रीन, मोबाइल उपकरणों, डिजिटल सेवाओं और नई भाषा-प्रौद्योगिकियों में भी समान रूप से अपनी जगह बना रही है। **तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलती हिंदी ही डिजिटल भारत में भाषा की व्यापक पहुँच और प्रभाव को और मजबूत कर सकती है।**

ई-ऑफिस में राजभाषा का प्रयोग

ललित फुलारा,
कार्यपालक, एनएसएफडीसी

बदलती कार्यसंस्कृति और राजभाषा

आज का कार्यालय पारंपरिक कागजी व्यवस्था से आगे बढ़कर डिजिटल कार्यप्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फाइलों का संचालन, पत्राचार, टिप्पणियाँ, मसौदे, अनुमोदन, आदेश और अभिलेख अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जा रहे हैं। इस परिवर्तन ने कार्यालयी कार्य को अधिक सुव्यवस्थित, त्वरित और पारदर्शी बनाने में सहायता की है। ई-ऑफिस केवल कागज के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह कार्य करने की एक आधुनिक पद्धति है। ऐसी स्थिति में राजभाषा हिंदी के प्रयोग का क्षेत्र भी कागजी फाइलों से निकलकर डिजिटल फाइलों और इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार तक विस्तृत हो गया है।

ई-ऑफिस में हिंदी का महत्व

ई-ऑफिस में किसी फाइल पर की गई टिप्पणी, तैयार किया गया मसौदा, जारी किया गया पत्र अथवा अपलोड किया गया दस्तावेज अपने आप में कार्यालयी कार्य का अभिन्न हिस्सा होता है। इसलिए जिस प्रकार कागजी फाइल में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक फाइल में भी हिंदी के प्रयोग को सहज और स्वाभाविक रूप से अपनाया जाना चाहिए।

राजभाषा नियम, 1976 में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पण और प्रारूपण आदि के संबंध में हिंदी के प्रयोग के प्रावधान किए गए हैं। नियमों में यह भी स्पष्ट है कि कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। इस प्रकार ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग कोई अलग या अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। यह कार्यालयी कार्य में हिंदी के प्रयोग की उसी व्यवस्था का आधुनिक रूप है।

तकनीक बदली है, भाषा नहीं

डिजिटल माध्यम ने कार्य करने का तरीका बदला है, भाषा का महत्व नहीं। पहले कर्मचारी कागज पर टिप्पणी लिखता था, अब वही टिप्पणी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दर्ज की जाती है। पहले पत्र फाइल के साथ संलग्न किया जाता था, अब वही पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाता है। माध्यम बदल गया है, लेकिन कार्यालयी कार्य की भाषा संबंधी आवश्यकता वही रहती है। इसलिए ई-ऑफिस को हिंदी के प्रयोग में बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे हिंदी के व्यापक प्रयोग का अवसर माना जाना चाहिए। कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल फाइलें हिंदी में कार्यालयी कार्य करने की पर्याप्त संभावनाएँ उपलब्ध कराती हैं।

हिंदी में टिप्पणी और प्रारूपण

ई-ऑफिस की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार है—स्पष्ट, संक्षिप्त और शुद्ध कार्यालयी लेखन। हिंदी में टिप्पणी लिखते समय अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग करने के बजाय सरल और प्रचलित शब्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी विषय पर टिप्पणी करते समय लंबे और जटिल वाक्यों के स्थान पर छोटे, स्पष्ट और क्रमबद्ध वाक्यों का प्रयोग अधिक प्रभावी होता है। इससे अधिकारी को विषय समझने और निर्णय लेने में सुविधा होती है। हिंदी में टिप्पणी का उद्देश्य केवल हिंदी का प्रयोग करना नहीं, बल्कि **विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना** भी है। भाषा जितनी सहज और सटीक होगी, कार्यालयी कार्य उतना ही प्रभावी होगा।

डिजिटल लेखन में शुद्धता

ई-ऑफिस में हिंदी टाइप करते समय वर्तनी, विराम-चिह्न, शब्दों के उचित प्रयोग और वाक्य-विन्यास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। टाइपिंग की सुविधा के कारण गति तो बढ़ी है, लेकिन जल्दबाजी में होने वाली भाषायी त्रुटियों की संभावना भी बनी रहती है। विशेष रूप से कार्यालयों में प्रयुक्त पदनाम, विभागों के नाम, योजनाओं के नाम, तकनीकी शब्द और प्रशासनिक शब्दावली सही रूप में लिखी जानी चाहिए। किसी शब्द का हिंदी रूप उपलब्ध और प्रचलित हो तो उसका उचित प्रयोग किया जाना चाहिए; वहीं आवश्यक तकनीकी या विशिष्ट शब्दों के प्रयोग में स्पष्टता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यूनिकोड ने आसान किया हिंदी का प्रयोग

डिजिटल माध्यम में हिंदी के प्रयोग को सरल बनाने में यूनिकोड का महत्वपूर्ण योगदान है। यूनिकोड आधारित हिंदी टाइपिंग के कारण हिंदी पाठ को विभिन्न कंप्यूटरों और डिजिटल प्रणालियों में अपेक्षाकृत आसानी से देखा, संपादित और साझा किया जा सकता है। आज हिंदी में ई-मेल, कार्यालयी पत्र, नोटशीट, प्रस्तुतियाँ, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार करना पहले की तुलना में बहुत आसान है। इसलिए हिंदी टाइपिंग से जुड़ी प्रारंभिक झिझक को अभ्यास के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

ई-ऑफिस में भाषा की सरलता

कार्यालयी हिंदी का अर्थ कठिन हिंदी नहीं है। अच्छी कार्यालयी भाषा वह है जो कम शब्दों में स्पष्ट अर्थ व्यक्त करे और जिसे पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। भाषा ऐसी हो जिसे सामान्य व्यक्ति सहज रूप से समझ सके। कार्यालयी हिंदी के संदर्भ में यह विचार आज भी प्रासंगिक है। इसलिए ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग करते समय अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ या अप्रचलित शब्दों से बचना चाहिए। जहाँ सरल और प्रचलित शब्द उपलब्ध हों, वहाँ उन्हें अपनाना अधिक उपयोगी है।

हिंदी में ई-मेल और डिजिटल पत्राचार

ई-मेल आज कार्यालयी संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। ई-ऑफिस के साथ-साथ विभागीय ई-मेल में भी राजभाषा हिंदी का उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है। विषय-पंक्ति स्पष्ट हो, संबोधन उचित हो और संदेश संक्षिप्त एवं व्यवस्थित हो—इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ नियमों, कार्यालय की आवश्यकता अथवा प्राप्तकर्ता के अनुसार हिंदी में पत्राचार अपेक्षित हो, वहाँ हिंदी में ई-मेल भेजने में संकोच नहीं होना चाहिए। हिंदी में प्राप्त पत्र या संचार का उत्तर हिंदी में देना भी राजभाषा के व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देता है। राजभाषा नियम, 1976 में हिंदी में प्राप्त संचार के उत्तर के संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान है।

तकनीकी शब्दावली का संतुलित प्रयोग

ई-ऑफिस में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अनेक शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे—फाइल, लॉगिन, पासवर्ड, स्कैन, अपलोड, डाउनलोड, इनबॉक्स, अटैचमेंट आदि। ऐसे शब्दों के साथ व्यवहार में प्रचलित हिंदी शब्दावली का भी प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि शब्दावली ऐसी हो जो अर्थ को स्पष्ट करे और कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सहज हो। केवल कठिन शब्दों के प्रयोग से हिंदी अधिक प्रभावी नहीं हो जाती। प्रभावी हिंदी वही है जो **सटीक, सरल और समझने योग्य** हो।

डिजिटल अभिलेख और हिंदी

ई-ऑफिस में तैयार होने वाले दस्तावेज भविष्य के संदर्भ और अभिलेख का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए हिंदी में तैयार किए गए दस्तावेजों का उचित नामकरण, वर्गीकरण और सुरक्षित रख-रखाव आवश्यक है। फाइल का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उसके विषय की पहचान आसानी से हो सके। अनावश्यक संक्षेपों और अस्पष्ट नामों के बजाय व्यवस्थित नामकरण से डिजिटल अभिलेखों को खोजने में सुविधा होती है।

राजभाषा कार्य की नई संभावनाएँ

ई-ऑफिस ने राजभाषा कार्य को केवल पत्रों और फाइलों तक सीमित नहीं रखा है। अब हिंदी में डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री, ई-पत्रिकाएँ, प्रस्तुतीकरण, ऑनलाइन प्रपत्र, सूचना सामग्री और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी हिंदी से संबंधित विभिन्न डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें हिंदी शब्दकोश, 'भारती' बहुभाषी अनुवाद सुविधा तथा हिंदी सीखने से संबंधित संसाधन शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि तकनीक और राजभाषा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर सहयोगी हो सकते हैं।

कर्मचारियों की भूमिका

ई-ऑफिस में हिंदी के प्रभावी प्रयोग की जिम्मेदारी केवल राजभाषा अनुभाग की नहीं है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाकर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में योगदान दे सकता है। इसके लिए किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। छोटी-छोटी शुरुआत महत्वपूर्ण होती है—हिंदी में टिप्पणी करना, हिंदी में मसौदा तैयार करना, हिंदी में ई-मेल लिखना, उपलब्ध हिंदी टूल का प्रयोग करना और लिखे हुए पाठ की वर्तनी जाँचना। नियमित अभ्यास से हिंदी में डिजिटल कार्य करना सहज बन जाता है।

राजभाषा और डिजिटल युग

आज भाषा और तकनीक का संबंध पहले से कहीं अधिक निकट हो गया है। जिस भाषा की डिजिटल दुनिया में उपस्थिति मजबूत होती है, उसका प्रयोग भी व्यापक होता है। इसलिए हिंदी को डिजिटल कार्यप्रणाली से जोड़ना केवल राजभाषा के प्रयोग का प्रश्न नहीं, बल्कि बदलते समय के अनुरूप कार्यालयी कार्यसंस्कृति को विकसित करने का भी विषय है। हिंदी का डिजिटल विस्तार तभी सार्थक होगा, जब वह कार्यालय के दैनिक कार्य का स्वाभाविक हिस्सा बने। इसके लिए तकनीकी सुविधा के साथ भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी आवश्यक है।

निष्कर्ष

ई-ऑफिस ने कार्यालयी कार्यप्रणाली को एक नया स्वरूप दिया है। इस नई व्यवस्था में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को केवल कागजी कार्य तक सीमित न रखकर डिजिटल कार्यप्रणाली में भी सहजता से अपनाया जाए। ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग किसी भाषा को दूसरी भाषा के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास नहीं है। इसका उद्देश्य कार्यालयी कार्य में उपलब्ध भाषायी विकल्पों का प्रभावी और नियम सम्मत उपयोग करना है। सरल, स्पष्ट, शुद्ध और व्यावहारिक हिंदी डिजिटल कार्यालय को अधिक सहज बना सकती है। अंततः, **ई-ऑफिस की गति और राजभाषा हिंदी की सहजता—दोनों मिलकर ऐसी कार्यसंस्कृति का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें तकनीक आधुनिक हो, कार्यप्रणाली सरल हो और भाषा अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाए।** यही डिजिटल युग में राजभाषा प्रयोग की सार्थक दिशा है।

एनएसएफडीसी के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज: एक नए अवसर की शुरुआत

अन्नु भोगल
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) एक गैर-लाभकारी सामाजिक संस्था है और हाल ही में भारत के **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई)** में पंजीकृत हुआ है। भारत का एसएसई सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के लिए पूंजी जुटाने और उनके सामाजिक प्रभाव को अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से सामने लाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह SEBI के नियामकीय ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है। एसएसई से जुड़ने के बाद केवल धन जुटाना ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह दिखाना कि संस्था उपलब्ध संसाधनों का उपयोग **कितनी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कर रही है और उससे समाज में वास्तव में क्या बदलाव आ रहा है।**

मजबूत गवर्नेंस का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है। इसका अर्थ है कि बोर्ड की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट हों, निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, जोखिमों की समय पर पहचान हो और संस्था के प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय हो। ऐसी व्यवस्था ही निवेशकों, नियामकों, दाताओं और सबसे महत्वपूर्ण—लाभार्थियों—का विश्वास मजबूत करती है।

एसएसई के साथ एनएसएफडीसी जैसे संगठन की जवाबदेही भी व्यापक हो जाती है। अब केवल सरकार या बोर्ड ही नहीं, बल्कि लाभार्थी, विकास संस्थाएँ, दाता और अन्य हितधारक भी यह जानना चाहेंगे कि संस्था क्या कर रही है और उसके कार्यों का वास्तविक सामाजिक प्रभाव क्या है। इसी संदर्भ में **ESG और Social Impact Reporting** का महत्व बढ़ जाता है। आज के समय में केवल वित्तीय आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। यह भी बताना आवश्यक है कि उपलब्ध धन से कितने लोगों को लाभ मिला, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया और संस्था अपने सामाजिक उद्देश्य को किस हद तक पूरा कर रही है। आने वाले समय में **Assurance और Independent Verification** भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि सामाजिक प्रभाव से संबंधित दावों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाए, तो रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। इससे एनएसएफडीसी जैसे संस्थानों के प्रति हितधारकों का विश्वास और मजबूत हो सकता है।

एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है **Capacity Building।** कई सामाजिक संस्थाओं के पास अच्छा उद्देश्य और जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव होता है, लेकिन उनकी गवर्नेंस, रिपोर्टिंग और संस्थागत प्रणालियाँ उतनी मजबूत नहीं होतीं। ऐसे में गवर्नेंस और वित्तीय विशेषज्ञ केवल compliance की भूमिका तक सीमित न रहकर संस्था को मजबूत बनाने में **सलाहकार और रणनीतिक भागीदार** की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अंततः पूरी व्यवस्था की सफलता एक ही चीज पर निर्भर करेगी—**विश्वास (Trust)।**

निवेशक और दाता यह विश्वास करना चाहेंगे कि उनका पैसा सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लाभार्थी यह विश्वास करना चाहेंगे कि संस्था वास्तव में उनके हित के लिए काम कर रही है। और नियामक यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि संस्था द्वारा दी गई जानकारी सही, पारदर्शी और विश्वसनीय है। इसलिए एनएसएफडीसी के लिए एसएसई में पंजीकरण केवल एक **regulatory milestone** नहीं है। यह संस्था के लिए अपनी कार्यप्रणाली, reporting और governance को और मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है।

आने वाले समय में Governance Professionals की भूमिका भी बदल सकती है। वे केवल compliance सुनिश्चित करने वाले अधिकारी नहीं रहेंगे, बल्कि संस्था की **विश्वसनीयता, पारदर्शिता और सामाजिक प्रभाव को मजबूत करने वाले strategic enablers** बन सकते हैं। भारत में एसएसई का विकास इस बात का संकेत है कि पूंजी बाजार अब केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक उद्देश्यों में भी योगदान देना चाहते हैं। हालांकि, इसकी सफलता के लिए कुछ बातें अनिवार्य होंगी—**अच्छा गवर्नेंस, पारदर्शिता, सामाजिक प्रभाव का सही मापन, विश्वसनीय reporting और सबसे बढ़कर stakeholder trust।**

एनएसएफडीसी के सामने असली चुनौती

इस पूरे अवसर को देखते हुए मेरे विचार से एनएसएफडीसी के सामने अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है:

क्या एनएसएफडीसी अपने एसएसई पंजीकरण को केवल एक उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय इसे सामाजिक प्रभाव, पारदर्शिता, संसाधन जुटाने और संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ाने के एक वास्तविक अवसर में बदल पाएगा?

और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है—

क्या एनएसएफडीसी ऐसा मजबूत Trust और Capacity विकसित कर पाएगा, जिससे सोशल स्टॉक एक्सचेंजके माध्यम से उपलब्ध इस नए अवसर का वास्तविक लाभ उठाया जा सके?

यही एनएसएफडीसी के लिए आगे की दिशा तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती और अवसर दोनों हैं।

सामाजिक न्याय से आत्मनिर्भरता की ओर

श्री रजनीश बनकर
उप महाप्रबंधक

भारत के समग्र विकास की परिकल्पना सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के बिना अधूरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समतामूलक समाज का स्वप्न देखा था, उसका मूल मंत्र यह था कि विकास की मुख्यधारा का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। जब तक समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाता, तब तक सामाजिक न्याय की संकल्पना पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतर सकती।

आर्थिक सशक्तीकरण ही वह ठोस माध्यम है, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे समाज में गरिमापूर्ण स्थान दिलाता है। इस दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)** एक मजबूत सेतु बनकर उभरा है। एनएसएफडीसी ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को अपनी कार्ययोजना का केंद्र बिंदु बनाया है।

एनएसएफडीसी: समावेशी विकास का संवाहक

एनएसएफडीसी का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के पात्र लाभार्थियों को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। निगम का मानना है कि केवल आर्थिक सहायता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाभार्थियों में उद्यमिता की भावना जगाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के योग्य बनाना भी उतना ही आवश्यक है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से एनएसएफडीसी देश के सुदूर क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। संस्था ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से न केवल पारंपरिक व्यवसायों को संबल दिया है, बल्कि आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप नए उद्यम स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रमुख वित्तीय योजनाएं: सशक्तीकरण के विविध आयाम

अनुसूचित जाति के लोगों की विविध आर्थिक आवश्यकताओं, शैक्षिक स्तर और व्यावसायिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एनएसएफडीसी ने कई कल्याणकारी वित्तीय योजनाओं का सृजन किया है:

1. **मियादी ऋण योजना (Term Loan Scheme)**

   यह योजना उन महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक मजबूत आधार है, जो कृषि, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण अथवा लघु उद्योग के क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।

   - **उद्देश्य:** मध्यम और बड़े स्तर की व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

• **विशेषता:** इसके तहत परियोजना लागत का एक बड़ा हिस्सा रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लाभार्थी पर प्रारंभिक वित्तीय दबाव कम होता है और वह अपने व्यवसाय को सुचारु रूप से स्थापित कर पाता है।

2. माइक्रोफाइनेंस योजना (Microfinance Scheme)

समाज के निर्धनतम वर्ग को अपनी छोटी-मोटी व्यावसायिक जरूरतों के लिए त्वरित और आसान ऋण की आवश्यकता होती है।

- **उद्देश्य:** छोटे दुकानदारों, फेरीवालों, दस्तकारों और कारीगरों को अत्यंत कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना।

- **प्रभाव:** इस योजना के माध्यम से लाभार्थी स्थानीय स्तर पर ही अपनी आय के साधन विकसित करते हैं, जिससे उनका साहूकारों के शोषण से बचाव होता है।

3. आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (Livelihood Microfinance Scheme)

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसरों का सृजन करने के लिए यह योजना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है।

- **उद्देश्य:** विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और व्यक्तिगत लाभार्थियों को संगठित रूप से आजीविका से जोड़ना।

- **लाभ:** यह योजना सामूहिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इससे महिलाएं और युवा अपने पारंपरिक कौशल को व्यावसायिक रूप देकर दैनिक आय अर्जित करने में सक्षम होते हैं।

4. शिक्षा ऋण योजना (Education Loan Scheme)

ज्ञान और शिक्षा ही सामाजिक समानता की सबसे अचूक कुंजी है। आर्थिक अभाव के कारण अनुसूचित जाति के किसी मेधावी छात्र का भविष्य अवरुद्ध न हो, इसी संकल्प के साथ यह योजना संचालित है:

- **विस्तार:** भारत और विदेशों में मान्यता प्राप्त उच्च, व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय मदद।

- **रियायती दरें:** सामान्य बैंकिंग व्यवस्था की तुलना में बहुत कम ब्याज दर और छात्राओं के लिए अतिरिक्त ब्याज छूट।

- **भविष्य निर्माण:** यह योजना हमारे युवाओं को पेशेवर रूप से सक्षम बनाकर आधुनिक कॉर्पोरेट व उद्यम जगत में अग्रणी स्थान दिलाने का कार्य कर रही है।

5. कौशल विकास: आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव

वित्तीय सहायता के साथ-साथ कौशल का होना किसी भी व्यवसाय की सफलता की प्राथमिक शर्त है। एनएसएफडीसी ने इस तथ्य को भली-भांति समझा है। इसी उद्देश्य से निगम देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए निरंतर कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।

- **निःशुल्क प्रशिक्षण एवं मानदेय:** प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री और मानदेय (स्टाइपेंड) उपलब्ध कराया जाता है।

- **बाजारोन्मुख पाठ्यक्रम:** वस्त्र निर्माण, ऑटोमोबाइल, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, सोलर तकनीक और हस्तशिल्प जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

- **रोजगार व स्व-रोजगार में सहायता:** प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात युवाओं को या तो सीधे उद्योगों में रोजगार पाने में मदद की जाती है अथवा उन्हें एनएसएफडीसी की रियायती योजनाओं से जोड़कर स्व-रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

महिला सशक्तीकरण: आर्थिक स्वावलंबन से सामाजिक गरिमा

किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। एनएसएफडीसी ने अपनी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी है। 68% महिलाओं को कवर किया है ।

महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, डेयरी फार्मिंग और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में हजारों महिलाओं ने अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर सकारात्मक रूप से दिखाई देता है।

पारदर्शी प्रक्रिया और डिजिटलीकरण

समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप एनएसएफडीसी ने अपनी कार्यप्रणाली में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी है। ऋण आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यमों से जोड़कर सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और वित्तीय सहायता का सीधा लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच रहा है। नियमित निगरानी और फीडबैक तंत्र के माध्यम से निगम यह सुनिश्चित करता है कि ऋण का उपयोग सही दिशा में हो और लाभार्थी अपने व्यवसाय को विस्तार दे सके।

सामाजिक न्याय केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। जब समाज के अंतिम व्यक्ति के पास अपनी आजीविका का सम्मानजनक साधन होता है, तब वह आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं, मियादी ऋण योजना, माइक्रोफाइनेंस योजना, आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना और उद्यम निधि योजना के माध्यम से वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की नई गाथा लिखी है। यह यात्रा सामाजिक न्याय के आदर्शों को अपनाते हुए देश को आत्मनिर्भरता और समरसता की ओर अग्रसर करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। निगम का प्रत्येक प्रयास इस विश्वास को सुदृढ़ करता है कि समावेशी विकास ही सशक्त भारत का वास्तविक आधार है।

*****

एनएसएफडीसी की योजनाएँ और हिंदी की भूमिका

योजना से लाभार्थी तक—भाषा बनेगी तो संवाद बढ़ेगा, संवाद बढ़ेगा तो सशक्तीकरण का मार्ग खुलेगा

श्री महेश चन्द,
सहायक प्रबंधक

प्रस्तावना

किसी भी विकास योजना की वास्तविक सफलता केवल उसके निर्माण और क्रियान्वयन से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि उसकी जानकारी समाज के उस व्यक्ति तक कितनी सहजता से पहुँचती है, जिसके लिए वह योजना बनाई गई है। योजना का उद्देश्य कितना ही व्यापक क्यों न हो, यदि संभावित लाभार्थी उसके प्रावधानों, पात्रता, प्रक्रिया और उपलब्ध अवसरों को समझ न सके, तो योजना का लाभ अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकता।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। निगम विभिन्न वित्तीय एवं विकासपरक योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार, आय-सृजन, शिक्षा तथा कौशल-विकास जैसे क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करता है। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी व्यापक हो सकता है, जब उनकी जानकारी सरल, सहज और जनसुलभ भाषा में समाज के लक्षित वर्ग तक पहुँचे। यहीं **हिंदी तथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं की भूमिका** अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

भाषा—योजना और लाभार्थी के बीच सेतु

सरकारी योजनाओं की भाषा यदि केवल औपचारिक और तकनीकी शब्दावली तक सीमित रहे, तो वह सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो सकती है। दूसरी ओर, जब वही जानकारी उसकी परिचित भाषा में सरल शब्दों और स्पष्ट उदाहरणों के साथ दी जाती है, तो योजना उसके लिए अधिक समझने योग्य बन जाती है।

एनएसएफडीसी की योजनाओं के संभावित लाभार्थी देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी भाषाई पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं है। अनेक लोग हिंदी को सहज रूप से समझते हैं, जबकि कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय अथवा स्थानीय भाषा उनके लिए संवाद का अधिक प्रभावी माध्यम है। इसलिए **हिंदी के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम बन सकता है।** यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं है; यह **सूचना तक पहुँच और अवसर की समानता** का प्रश्न भी है।

सरल भाषा में योजना की जानकारी

किसी योजना की पात्रता, ऋण की प्रकृति, आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, प्रशिक्षण, पुनर्भुगतान अथवा अन्य शर्तों की जानकारी यदि अत्यधिक कठिन भाषा में प्रस्तुत की जाए, तो संभावित लाभार्थी उसके अर्थ को समझने में कठिनाई महसूस कर सकता है।

इसके विपरीत, यदि यही जानकारी सरल हिंदी में इस प्रकार दी जाए कि *"कौन आवेदन कर सकता है?", "किस उद्देश्य के लिए सहायता मिल सकती है?", "आवेदन कहाँ करना है?"* और *"किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?"*—तो व्यक्ति योजना को अपने संदर्भ में समझ सकता है।

इसलिए योजनाओं के प्रचार-प्रसार में **सरल, स्पष्ट, शुद्ध और व्यवहारिक हिंदी** का प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो जानकारी दे, भ्रम दूर करे और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।

पैम्फलेट और लीफलेट से जन-जागरूकता तक

एनएसएफडीसी की योजनाओं के क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए पैम्फलेट, लीफलेट, पोस्टर, पुस्तिकाएँ और अन्य मुद्रित सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सामग्री तब अधिक प्रभावी बनती हैं, जब इन्हें संबंधित क्षेत्र के लोगों की भाषाई समझ को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए।

जहाँ हिंदी सहज रूप से समझी जाती है, वहाँ सरल हिंदी में तैयार सामग्री उपयोगी हो सकती है। वहीं, जिन क्षेत्रों में स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा अधिक प्रभावी है, वहाँ उसी भाषा में योजना की मुख्य जानकारी उपलब्ध कराना लाभार्थियों तक पहुँच को और मजबूत कर सकता है।

ऐसी सामग्री में शब्दों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है—**जानकारी की स्पष्टता**। कम शब्दों में आवश्यक जानकारी, प्रमुख बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख, सरल वाक्य और स्थानीय संदर्भ सामग्री को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। एक अच्छा लीफलेट केवल योजना का परिचय नहीं देता; वह संभावित लाभार्थी को यह समझने में सहायता करता है कि योजना उसके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है और उसे आगे क्या करना है।

रेडियो, लघु फिल्म और नुक्कड़ नाटक की प्रभावशीलता

संचार के बदलते माध्यमों के बावजूद रेडियो, लघु फिल्म, जागरूकता कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक आज भी जन-जागरूकता के प्रभावी माध्यम हो सकते हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहाँ डिजिटल माध्यमों की पहुँच सीमित है, स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले प्रत्यक्ष प्रचार का महत्व बना हुआ है।

यदि एनएसएफडीसी की योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म में पात्र स्थानीय परिवेश से जुड़े हों और संवाद सरल हिंदी अथवा स्थानीय भाषा में हों, तो संदेश अधिक स्वाभाविक रूप से लोगों तक पहुँच सकता है। इसी प्रकार, रेडियो कार्यक्रमों में स्थानीय भाषा या परिचित हिंदी का प्रयोग श्रोताओं के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकता है।
नुक्कड़ नाटक की अपनी विशिष्ट शक्ति है। कहानी, संवाद और स्थानीय उदाहरणों के माध्यम से किसी योजना को समझाना केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि उसे **अनुभव के स्तर पर समझने का अवसर देना** है।

सोशल मीडिया पर स्थानीय भाषा की शक्ति

आज सूचना का एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया भी है। मोबाइल फोन के माध्यम से योजनाओं से संबंधित जानकारी कुछ ही क्षणों में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। ऐसे में एनएसएफडीसी की योजनाओं से संबंधित डिजिटल सामग्री को भी भाषाई विविधता के अनुरूप तैयार किया जाना उपयोगी होगा।

हिंदी में बनाए गए छोटे वीडियो, इन्फोग्राफिक, पोस्ट, प्रश्नोत्तर, सफलता-कथाएँ और जागरूकता संदेश अधिक लोगों तक पहुँच सकते हैं। साथ ही, आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराने से स्थानीय स्तर पर संवाद और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

सोशल मीडिया की भाषा में एक और गुण आवश्यक है—**सरलता**। लंबे और जटिल विवरण की अपेक्षा छोटे वाक्यों, स्पष्ट शीर्षकों और सहज शब्दों के माध्यम से योजना की मूल जानकारी देना अधिक प्रभावी हो सकता है।

लाभार्थी की भाषा में संवाद, विश्वास की भाषा में संबंध

किसी भी योजना का प्रचार केवल सूचना पहुँचाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य संभावित लाभार्थी में विश्वास उत्पन्न करना भी होना चाहिए। जब व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रश्नों को उसकी अपनी समझ की भाषा में संबोधित किया जा रहा है, तो उसके भीतर योजना के प्रति विश्वास बढ़ता है।

भाषा यहाँ केवल संचार का माध्यम नहीं रहती; वह **विश्वास का माध्यम** बन जाती है।

इसीलिए एनएसएफडीसी की योजनाओं के प्रचार-प्रसार में भाषा का चयन करते समय केवल प्रशासनिक सुविधा को नहीं, बल्कि लाभार्थी की भाषाई सुविधा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। योजना का संदेश तभी प्रभावी होगा, जब वह उस व्यक्ति की समझ तक पहुँचे, जिसके जीवन में वह परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई है।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ—प्रतिस्पर्धी नहीं, सहयोगी

भारत की भाषाई विविधता उसकी विशेषता है। इसलिए हिंदी की भूमिका को क्षेत्रीय भाषाओं के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि उनके साथ सहयोगी भूमिका में देखना अधिक उपयुक्त है। हिंदी व्यापक संपर्क की भाषा के रूप में अनेक क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है, जबकि क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाएँ अपने-अपने समाज में अधिक आत्मीय और प्रभावशाली संवाद स्थापित कर सकती हैं।

एनएसएफडीसी के संदर्भ में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी है। **जहाँ हिंदी प्रभावी है, वहाँ सरल हिंदी; जहाँ क्षेत्रीय भाषा अधिक प्रभावी है, वहाँ संबंधित क्षेत्रीय भाषा; और जहाँ स्थानीय भाषा संवाद का सबसे सहज माध्यम है, वहाँ स्थानीय भाषा**—इस प्रकार का बहुभाषी दृष्टिकोण योजनाओं की पहुँच को व्यापक बना सकता है।

सूचना से सशक्तीकरण की ओर

किसी व्यक्ति को योजना की जानकारी मिलना पहला कदम है। उस जानकारी को समझना दूसरा कदम है और उसके आधार पर अवसर का लाभ उठाना सशक्तीकरण की दिशा में अगला कदम है। इन सभी चरणों में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है।

यदि कोई व्यक्ति अपनी समझ की भाषा में यह जान पाता है कि उसके लिए कौन-सा अवसर उपलब्ध है, वह उसका लाभ कैसे उठा सकता है और आगे किससे संपर्क कर सकता है, तो सूचना उसके लिए वास्तविक अवसर में बदल सकती है।

इस प्रकार **भाषा विकास की प्रक्रिया में अदृश्य किंतु अत्यंत प्रभावी आधारभूत संरचना** का कार्य करती है।

निष्कर्ष : योजना की पहुँच, भाषा की सहजता से

एनएसएफडीसी की योजनाएँ आर्थिक अवसरों और सामाजिक सशक्तीकरण का माध्यम हैं। इन योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए वित्तीय सहायता और संस्थागत प्रयासों के साथ-साथ प्रभावी जनसंचार भी आवश्यक है।

हिंदी तथा क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाएँ इस जनसंचार को जनसरोकार से जोड़ सकती हैं। मुद्रित सामग्री से लेकर रेडियो, लघु फिल्म, जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया तक—हर माध्यम में सरल, स्पष्ट और लाभार्थी-केंद्रित भाषा का प्रयोग योजनाओं के संदेश को अधिक प्रभावी बना सकता है।

अंततः किसी योजना की सार्थकता तभी सिद्ध होती है, जब उसका संदेश उस व्यक्ति तक पहुँचे, जिसके जीवन में वह परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई है। **जब योजना की भाषा सरल होती है, तो जानकारी समझ में आती है; जब जानकारी समझ में आती है, तो विश्वास बढ़ता है; और जब विश्वास के साथ अवसर तक पहुँच बनती है, तब सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।**

इस दृष्टि से हिंदी केवल कार्यालयीन कार्य की भाषा नहीं, बल्कि **योजना और समाज के बीच संवाद का सशक्त माध्यम** है। हिंदी के साथ क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं का समन्वित प्रयोग एनएसएफडीसी की योजनाओं को अधिक जनसुलभ, प्रभावी और जनोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

योजना तभी सफल है, जब उसका संदेश सही व्यक्ति तक पहुँचे—और संदेश तभी प्रभावी है, जब वह उसकी समझ की भाषा में पहुँचे।

* * * * *

ऋण वितरण से आगे
(रियायती ऋण की स्थिरता और विकास प्रभाव को मापने हेतु वित्तीय रूपरेखा)

श्री चंद्रप्रकाश,
सलाहकार, एनएसएफडीसी

"विकास वित्त की सफलता केवल इस प्रश्न पर समाप्त नहीं होनी चाहिए कि 'कितना वितरित किया गया?' अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऋण ने क्या उत्पन्न किया ? क्या इसने स्थायी आय उत्पन्न की? क्या उधारकर्ता पुनर्भुगतान कर सका? और क्या पूँजी अगले लाभार्थी को वित्तपोषित करने हेतु उपलब्ध रही?"

कार्यकारी सारांश

"रियायती ऋण विकास वित्त का एक महत्त्वपूर्ण साधन है क्योंकि इसका उद्देश्य उन वर्गों तक सुलभ संस्थागत वित्त का विस्तार करना है जो पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा कम वित्तीय सहायता प्राप्त कर पाते हैं। हालाँकि, स्वीकृत या वितरित राशि केवल वित्तीय पहुँच का एक माप प्रदान करती है; यह स्वयं में यह स्थापित नहीं करती कि वित्तीय हस्तक्षेप ने स्थायी आर्थिक लाभ उत्पन्न किए हैं। एक अधिक व्यापक आकलन को ऋण पहुँच, उत्पादक निवेश, उद्यम की व्यवहार्यता, आय सृजन, पुनर्भुगतान क्षमता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूँजी पुनर्चक्रण को जोड़ना चाहिए। यह लेख चार आयामों यथा आउटरीच, वित्तीय स्थिरता, आर्थिक परिणाम और विकास अतिरिक्तता पर आधारित एक वित्तीय रूपरेखा प्रस्तावित करता है।

1. ऋण वितरण से आगे का प्रश्न :-

सामान्य ऋण में वित्तीय प्रदर्शन को बहुधा ऋण स्वीकृति, वितरण, बकाया पोर्टफोलियो, संग्रहण और परिसंपत्ति गुणवत्ता के माध्यम से देखा जाता है जबकि विकास वित्त एक व्यापक दृष्टिकोण की माँग करता है। मान लीजिए दो ऋण योजना प्रत्येक ₹100 करोड़ 10,000 लाभार्थियों को वितरित करते हैं। केवल वितरण पर दोनों समान रूप से सफल प्रतीत होते हैं। लेकिन यदि एक कार्यक्रम उच्च उद्यम अस्तित्व, स्थायी आय वृद्धि, मजबूत पुनर्भुगतान और पूँजी पुनर्चक्रण दर्ज करता है, जबकि दूसरा उद्यम बंद होने, कमजोर पुनर्भुगतान और सीमित आय सुधार का अनुभव करता है, तो उनका विकास प्रदर्शन स्पष्ट रूप से अलग होगा।

"वितरण वित्त की आपूर्ति को मापता है; यह स्वयं में विकास प्रभाव को नहीं मापता।"

2. ऋण वितरण से विकास परिणाम तक:-

विकास ऋण का जीवनचक्र इस प्रकार देखा जा सकता है:

ऋण → उत्पादक निवेश → उद्यम → आय → पुनर्भुगतान → पूँजी संरक्षण → पूँजी पुनर्चक्रण

प्रत्येक चरण अलग प्रश्न का उत्तर देता है: क्या लाभार्थी को औपचारिक वित्त मिला? क्या इसका उपयोग इच्छित उत्पादक उद्देश्य हेतु हुआ? क्या गतिविधि परिचालन और व्यवहार्य बनी? क्या इसने अतिरिक्त आय उत्पन्न की? क्या नकदी प्रवाह ने पुनर्भुगतान का समर्थन किया? क्या वसूली गई पूँजी दूसरे लाभार्थी का समर्थन कर सकती है?

3. ऋण प्रभाव: क्या वित्तीय हस्तक्षेप ने अंतर पैदा किया? :-

विकास वित्त में एक केंद्रीय अवधारणा है अतिरिक्तता। प्रश्न केवल यह नहीं है कि क्या उधारकर्ता को ऋण मिला, बल्कि यह कि क्या वित्तीय हस्तक्षेप ने कुछ ऐसा प्रदान किया जो बाज़ार अन्यथा तुलनीय शर्तों पर नहीं देता।

वित्तीय	मूल्य	अवधि	जोखिम
ऋण अन्यथा उपलब्ध नहीं	कम प्रभावी ऋण लागत	उपयुक्त पुनर्भुगतान अवधि	गारंटी/रीफाइनेंस से ऋण प्रदान करना संभव

विकासात्मक अतिरिक्तता भी हो सकती है-जहाँ वित्त को कौशल, तकनीक, बाज़ार संपर्क या मार्गदर्शन के साथ जोड़ा जाता है ताकि स्थायी परिणामों की संभावना बढ़े।

"विकास वित्त हस्तक्षेप ने वास्तव में कौन-सी बाधा दूर की?"

4. अनुपस्थित कड़ी: उद्यम व्यवहार्यता –

ऋण चक्र की शुरुआत में आवेदन, स्वीकृति और वितरण पर पर्याप्त जानकारी होती है और अंत में बकाया, एनपीए और वसूली पर। सबसे महत्त्वपूर्ण अवधि इन दोनों के बीच होती है: वह अवधि जिसमें वित्तपोषित गतिविधि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनना होता है। संकेतक: गतिविधि का आरंभ, क्षमता उपयोग, कारोबार, परिचालन मार्जिन, नकदी सृजन, कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता, उत्पन्न रोजगार, पुनर्भुगतान प्रदर्शन और उद्यम की निरंतरता।

"उद्यम व्यवहार्यता वित्त और विकास प्रभाव के बीच का रूपांतरण बिंदु है।"

5. अतिरिक्त आय का मापन:-

विकास वित्त (Development Finance) में सबसे सार्थक परिणाम संकेतकों में से एक है **क्रमिक आय (Incremental Income)**।

- वृद्धिशील आय = हस्तक्षेप के बाद की आय – आधारभूत आय
- आय वृद्धि (%)=वृद्धिशील आय ÷ आधारभूत आय × 100

6. उद्यम अस्तित्व: एक मजबूत परिणाम संकेतक :-

किसी वित्तपोषित उद्यम का कई वर्षों तक संचालन में बने रहना, उस उद्यम की स्थिरता का अधिक ठोस प्रमाण है, अपेक्षाकृत उस उद्यम के जो वितरण के तुरंत बाद बंद हो जाता है। इसलिए विकास-वित्त कार्यक्रमों में 12 माह, 24 माह और 36 **माह के उद्यम अस्तित्व दर** की निगरानी की जा सकती है। ऐसा विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रों, लाभार्थी वर्गों और कार्यान्वयन मॉडलों के बीच अंतर को प्रदर्शित कर सकता है। किसी कार्यक्रम द्वारा 95% वितरण लक्ष्य प्राप्त कर लेना, परंतु उद्यम अस्तित्व दर कम होना, इस बात की ओर संकेत करता है कि मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, बाज़ार संपर्क या ऋणोत्तर सहयोग में सुधार की आवश्यकता है।

7. पुनर्भुगतान केवल वित्तीय संकेतक नहीं है :-

सामान्यतः पुनर्भुगतान को ऋणदाता का वित्तीय उद्देश्य माना जाता है, परंतु विकास-वित्त में यह एक परिणाम संकेतक भी है। मजबूत पुनर्भुगतान इस बात का संकेत देता है कि पर्याप्त नकदी प्रवाह हुआ है, ऋण का आकार उपयुक्त है, पुनर्भुगतान अनुसूची सही है, उद्यम व्यवहार्य है और उधारकर्ता में वित्तीय अनुशासन है। इसके विपरीत, डिफ़ॉल्ट व्यवसाय की विफलता, अपर्याप्त कार्यशील पूँजी,

बाज़ार में व्यवधान, प्राकृतिक या जलवायु-संबंधी आघात, स्वास्थ्य आपात स्थिति, अनुचित ऋण संरचना अथवा वितरण के बाद अपर्याप्त सहयोग के कारण उत्पन्न हो सकता है।

"कितना अतिदेय बकाया है? + क्यों बकाया हुआ?"

8. पूँजी पुनर्चक्रण: विकास ऋण की विशिष्ट शक्ति :-

विकास ऋण की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे पुनर्चक्रित किया जा सकता है। अनुदान सामान्यतः संसाधनों का एक बार का हस्तांतरण होता है, जबकि सफलतापूर्वक चुकाया गया ऋण पूँजी को वित्तीय प्रणाली में वापस लाता है और वही संस्थागत संसाधन किसी अन्य लाभार्थी को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार विकास ऋण की श्रृंखला इस प्रकार है:

वित्त → उद्यम → आय → पुनर्भुगतान → पूँजी संरक्षण → नया लाभार्थी।

"ऋण वसूली विकास प्रभाव को अगली पीढ़ियों तक पहुँचाने का साधन है।"

9. विकास-समायोजित पोर्टफोलियो रूपरेखा :-

आयाम	उदाहरणात्मक संकेतक	यह हमें क्या बताता है
प्रसार (Outreach)	वित्तपोषित लाभार्थी; वितरण; भौगोलिक कवरेज	किसने वित्त प्राप्त किया?
वित्तीय स्थिरता	संग्रह दक्षता; PAR; NPA; पुनर्प्राप्ति	क्या पोर्टफोलियो वित्तीय रूप से स्थिर है?
आर्थिक परिणाम	क्रमिक आय; उद्यम अस्तित्व; रोजगार	कौन-सा आर्थिक लाभ उत्पन्न हुआ?
विकास अतिरिक्तता	प्रथम-बार उधारकर्ता; उपेक्षित क्षेत्र; प्रौद्योगिकी/कौशल संपर्क	हस्तक्षेप ने क्या अतिरिक्त प्रदान किया?

10. पोर्टफोलियो-एट-रिस्क : एनपीए से परे दृष्टि :-

अनर्जक आस्तिया (एनपीए) संपत्ति गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तथापि, विकास-वित्त प्रबंधन को लाभ होता है यदि तनाव को एनपीए के रूप में crystallise होने से पहले ही पहचाना जाए।

सूत्र:PAR > x दिन = x दिन से अधिक बकाया ऋण का मूलधन ÷ कुल बकाया पोर्टफोलियो

11. प्रबंधन सूचना प्रणाली से विकासवित्त बुद्धिमत्ता तक-:-

डिजिटल प्रणालियाँ वित्तीय और विकासात्मक जानकारी को एकीकृत करने का अवसर प्रदान करती हैं। इस प्रकार विकास:वित्त की श्रृंखला इस प्रकार है-

लाभार्थी → ऋण → वितरण → उपयोग → उद्यम → आय → पुनर्भुगतान → प्रभाव।

"डैशबोर्ड को यह उत्तर देना चाहिए: विकास प्रभाव कहाँ सबसे अधिक है? वित्तीय जोखिम कहाँ उभर रहा है? अगला रुपया कहाँ लगाया जाए?"

12. वित्तीय स्थिरता और विकास प्रभाव: एक ही सिक्के के दो पहलू :-

अक्सर यह माना जाता है कि विकास-वित्त को सामाजिक उद्देश्यों और वित्तीय स्थिरता के बीच चयन करना पड़ता है, परंतु यह एक मिथ्या द्वंद्व है। यदि ऋण वितरण अत्यधिक रूढ़िवादी हो, तो योग्य लाभार्थी वंचित रह सकते हैं। वहीं यदि ऋण वितरण अत्यधिक उदार हो, तो कमजोर मूल्यांकन और कमजोर पुनर्भुगतान संस्थागत पूँजी को क्षीण कर सकते हैं।

“स्थायी विकास प्रभाव को अधिकतम करें बशर्ते वित्तीय जोखिम स्वीकार्य हो और संस्थागत संसाधन सीमित हों”

13. विकास-वित्त मापन में अपेक्षित पाँच बदलाव :-

1. वितरण से → विकास परिणाम तक
2. ऋण खातों से → उद्यम और लाभार्थी परिणाम तक
3. एनपीए रिपोर्टिंग से → प्रारंभिक तनाव पहचान तक
4. वित्तीय MIS से → समेकित वित्तीय-प्रभाव विश्लेषण तक
5. एक बार ऋण से → पूँजी पुनर्चक्रण और स्थायी समावेशन तक

14. विकास-वित्त परीक्षण कारक:-

पहुँच → उपयोग → व्यवहार्यता → पुनर्भुगतान → प्रभाव

i. पहुँच - क्या लाभार्थी को वित्त मिला?
ii. उपयोग -क्या वित्त का उपयोग इच्छित उत्पादक उद्देश्य हेतु हुआ?
iii. व्यवहार्यता- क्या वित्तपोषित गतिविधि आर्थिक रूप से स्थायी बनी?
iv. पुनर्भुगतान -क्या नकदी प्रवाह ने ऋण सेवा का समर्थन किया?
v. प्रभाव -क्या हस्तक्षेप ने स्थायी आर्थिक और सामाजिक सुधार उत्पन्न किया?

.15 मुख्य निष्कर्ष :-

“विकास वित्त का विकास स्वीकृति और वितरण के पारंपरिक मापन से आगे बढ़ने की आवश्यकता रखता है। ऋण पहुँच महत्त्वपूर्ण है, परंतु यह केवल विकास प्रक्रिया की शुरुआत है। अधिक सार्थक श्रृंखला इस प्रकार है:

ऋण पहुँच → उत्पादक निवेश → उद्यम व्यवहार्यता → अतिरिक्त आय → पुनर्भुगतान → पूँजी संरक्षण → पूँजी पुनर्चक्रण → आगे का समावेशन

एक स्थायी विकास ऋण केवल तब मूल्य उत्पन्न करता है जब यह वितरित होता है, बल्कि तब भी जब यह उत्पादक आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित होता है, आय उत्पन्न करता है, पुनर्भुगतान का समर्थन करता है और वसूली गई पूँजी को दूसरे लाभार्थी को वित्तपोषित करने की अनुमति देता है। सबसे मजबूत रियायती-ऋण कार्यक्रम आवश्यक रूप से वह नहीं है जो सबसे बड़ी राशि वितरित करता है। यह वह है जो स्थायी आर्थिक क्षमता उत्पन्न करता है जबकि भविष्य के लाभार्थियों की सेवा करने हेतु वित्तीय क्षमता को संरक्षित रखता है।”

“विकास वित्त का वास्तविक माप वितरित राशि नहीं, बल्कि प्रति रुपये उत्पन्न स्थायी आर्थिक मूल्य है।”

* * * * *

पर्यावरण संरक्षण : एक पुनीत कार्य

श्री नरेंद्र कुमार
सलाहकार

पर्यावरण' शब्द 'परि' (चारों ओर) और 'आवरण' (ढकने वाला) दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है हमें चारों ओर से घेरने वाला आवरण। वायु, जल, मृदा, वनस्पति और जीव-जंतु मिलकर हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। तथापि, आधुनिकता की दौड़, औद्योगिकीकरण और अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण हमारी पृथ्वी बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है। ऐसे परिदृश्य में पर्यावरण का संरक्षण मात्र एक विचार नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व बन चुका है।

शुद्ध वायु और स्वच्छ जल जीवन-यापन के लिए आवश्यक हैं। ये बीमारियों को दूर रखते हैं और मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए वनस्पतियाँ और वन्यजीव अत्यंत आवश्यक हैं। लकड़ी, जल, कोयला और खनिज आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। पर्यावरण संरक्षण मानवता के सबसे पुनीत उत्तरदायित्वों में से एक है। हमारा पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। तथापि, वायु एवं जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक अपशिष्ट और तीव्र शहरीकरण हमारे ग्रह को गंभीर रूप से क्षति पहुँचा रहे हैं।

भारत का लगभग 15% भूभाग भूस्खलन-प्रवण है, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिमी घाट अत्यधिक प्रभावित होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विभिन्न भागों में कई भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं को देखा है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। प्रमुख ऐतिहासिक आपदाओं में वर्ष 2013 की विनाशकारी केदारनाथ घटना और वर्ष 2024 में केरल राज्य के वायनाड जिले में हुई भीषण भूस्खलन की घटना शामिल हैं, जो मूसलाधार मानसून, वनों की कटाई और नाजुक पर्वतीय भूगोल के कारण हुई थीं। हाल ही में हमने 13 अगस्त, 2026 को एक दुखद घटना देखी, जब उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की एक निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन हुआ, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 घायल हो गए।

पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकारों और संगठनों का ही कर्तव्य नहीं है; यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। वृक्षारोपण, जल और बिजली की बचत, एकल-उपयोग (सिंगल-यूज़) प्लास्टिक से बचाव, अपशिष्ट को कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और अपने परिवेश को स्वच्छ रखना जैसे छोटे-छोटे कदम एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है, जो कि 19 नवंबर, 1986 को लागू किया गया एक समग्र (अंब्रेला) विधान है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से भोपाल गैस त्रासदी और स्टॉकहोम सम्मेलन के उपरांत मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा सभी जीवित प्राणियों एवं संपत्ति को होने वाले खतरों को रोकना है। इस विधान का उद्देश्य भोपाल आपदा जैसी औद्योगिक दुर्घटनाओं द्वारा उजागर की गई प्रमुख सुरक्षा कमियों को दूर करना है। यह "पर्यावरण" को जल, वायु, भूमि और इनके बीच तथा जीवित प्राणियों के पारस्परिक संबंधों को शामिल करते हुए परिभाषित करता है। इसके अलावा, यह केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने, राष्ट्रव्यापी प्रदूषण निवारण कार्यक्रमों की योजना बनाने और प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्तारण के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है।

जैसा कि कहा गया है, "हमें यह पृथ्वी अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली है; हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है।" इसलिए, हमें आज ही प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ियाँ एक स्वच्छ, स्वस्थ और सतत विश्व में रह सकें। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए विनियामक उपाय तभी सफल होंगे, जब देश का प्रत्येक नागरिक इसके लिए सतर्क एवं सजग होगा।

आइए हम याद रखें: पर्यावरण की रक्षा करना कोई विकल्प नहीं है—यह हमारा कर्तव्य, हमारा उत्तरदायित्व और मानवता के अस्तित्व के लिए एक पुनीत कार्य है।

राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य और साहित्यकारों की भूमिका

श्रीमती पूनम सुभाष
पूर्व मुख्य राजभाषा अधीक्षक,
एचपीसीएल, दिल्ली

कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र की भाषा से विशेष रूप से जुड़ा होता है। वह केवल भूभाग नहीं होता, अपितु वह अपनी एक पहचान और अस्मिता अपने भीतर पूर्णतया समेटे रहता है। जिसका ज्ञान राष्ट्र प्रेमियों को साहित्य के माध्यम से होता है। संस्कृति, साझा चेतना, मानवीय मूल्यों और जनमानस की सामूहिक आकांक्षाओं से निर्मित एक जीवंत सत्ता है। इस सत्ता को प्राणवान बनाने, उसे एकसूत्र में पिरोने और आत्मसम्मान से युक्त करने का कार्य साहित्य करता है। किसी भी राष्ट्र के वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान में साहित्यकारों की लेखनी ने सदैव एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। यदि ऐसा न होता तो आज बंगभाषी बंकिमचंद्र चटर्जी का 'बंदेमातरम' और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 'जन-गण-मन' राष्ट्र की अस्मिता की पहचान नहीं बनता।

ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा ने भी साहित्य के माध्यम से अपनी अस्मिता की पहचान दी है और हिंदी स्वयं ही बोल उठी कि

मैं क्या कहूँ मैं सरल हिंदी हूँ
कोई एक ही देश नहीं है
सभी जगह मैं घूमा करती हूँ
सिर्फ एक ही प्रदेश नहीं है
तुलसी और कबीर सूर की
चरण धूली ले मैं चलती हूँ
तीर्थ धाम मैं घूमा करती हूँ
जनता में ही मैं पलती हूँ
मुझे मिला है स्नेह सभी का
नानक रैदास और संत बाउलका

यह हिंदी भाषा का भक्ति काल था जब संतों और समाज सुधारकों ने राष्ट्र और समाज सुधार का बीड़ा उठाया और समाज में जनजागरण की हुंकार भरी। मलिक मुहम्मद जायसी की 'पदमावत' ने तो संसार को राष्ट्र चेतना का नया रूप दिखा दिया। यही वह काल था जब समाज की दशा और दिशा सकारात्मक रूप से बदलने लगी।

1. सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता की आधारशिला: भक्ति काल

राष्ट्र निर्माण की प्रथम शर्त समाज का आंतरिक जुड़ाव और भावनात्मक समन्वय है। मध्यकाल में जब भारत राजनीतिक पराभव और सामाजिक विघटन के दौर से गुजर रहा था, तब भक्तिकालीन कवियों ने आध्यात्मिक एवं नैतिक स्तर पर राष्ट्र को संगठित किया।

- **कबीरदास** ने जाति, पंथ और बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात कर एक समतामूलक समाज का खाका खींचा। उनकी साखियों और सबदों ने सामान्य जन को सामाजिक भेद-भाव से ऊपर उठकर मनुष्यता को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा दी।

- **गोस्वामी तुलसीदास** ने अपनी अमर कृति *'रामचरितमानस'* के माध्यम से आदर्श शासन व्यवस्था (रामराज्य) और मर्यादा का जो चित्र प्रस्तुत किया, उसने उत्तर भारत के जन-जन को एक सूत्र में बांधा। रामराज्य का स्वरूप वास्तव में एक कल्याणकारी राष्ट्र की ही परिकल्पना है:

"दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥
सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥"

— **गोस्वामी तुलसीदास** (*रामचरितमानस*, उत्तरकांड)

भक्तिकाल के संतों ने क्षेत्रीय बोलियों (अवधी, ब्रज, सधुक्कड़ी) के माध्यम से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मानवीय संवेदनाओं का ऐसा सेतु बनाया, जिसने भविष्य के एकीकृत भारत की नींव सुदृढ़ की।

2. आधुनिक पुनर्जागरण और भाषाई स्वाभिमान: भारतेंदु युग

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक दासता और अंग्रेजी प्रभाव के बीच जब भारतीय समाज अपनी पहचान भूल रहा था, तब **भारतेंदु हरिश्चंद्र** ने आधुनिक हिंदी साहित्य के माध्यम से नवजागरण का शंखनाद किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निज भाषा और स्वदेशी चेतना के बिना किसी भी राष्ट्र की वास्तविक उन्नति असंभव है। भारतेंदु जी ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता *'निज भाषा उन्नति'* (संग्रह: *भारतेंदु ग्रंथावली*) में लिखा:

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल॥"

भारतेंदु ने अपने नाटक *'भारत दुर्दशा'* (1880) के माध्यम से देश के आर्थिक शोषण, कुरीतियों और राजनीतिक दुरावस्था पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने साहित्य को दरबारी विलासिता से बाहर निकालकर देशहित, जन-कल्याण और स्वदेशी चेतना का मुख्य माध्यम बनाया।

3. स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना का जागरण

20वीं सदी के पूर्वार्ध में हिंदी साहित्य स्वाधीनता संग्राम की अग्रिम पंक्ति का वैचारिक अस्त्र बना। साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से सोई हुई जनता को झकझोरा और स्वतंत्रता को राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में स्थापित किया।

मैथिलीशरण गुप्त: राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृति का पुनर्जागरण

राष्ट्रकवि **मैथिलीशरण गुप्त** की कृति *'भारत-भारती'* (1912) ने स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों में क्रांति का नया उत्साह भर दिया। उन्होंने राष्ट्र को उसके स्वर्णिम अतीत की याद दिलाते हुए वर्तमान दशा पर विचार करने और भविष्य निर्माण का आह्वान किया:

"हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएँ सभी॥"

— **मैथिलीशरण गुप्त** (*भारत-भारती*)

इस पुस्तक का प्रभाव इतना व्यापक था कि महात्मा गांधी ने उन्हें 'राष्ट्रकवि' की उपाधि से अलंकृत किया।

माखनलाल चतुर्वेदी: बलिदान और समर्पण का उद्घोष

'एक भारतीय आत्मा' के नाम से विख्यात **माखनलाल चतुर्वेदी** ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को अपनी अमर कविता *'पुष्प की अभिलाषा'* (काव्य संग्रह: *हिमकिरीटिनी*) में जीवंत किया:

"मुझे तोड़ लेना बनमाली! उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक॥

छायावादी कवियों का राष्ट्रीय स्वर

छायावाद केवल सौंदर्य और प्रकृति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें तीव्र राष्ट्रीय उद्बोधन विद्यमान था। **जयशंकर प्रसाद** ने अपने ऐतिहासिक नाटक *'चंद्रगुप्त'* (1931) में देश के प्राकृतिक सौंदर्य और संप्रभुता का गौरवगान करते हुए लिखा:

"अरुण यह मधुमय देश हमारा।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा॥"

वहीं, उनकी कविता **"हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती"** ने युवाओं में स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का संकल्प जगाया। **सुभद्रा कुमारी चौहान** की कविता *'झाँसी की रानी'* (*मुकुल* संग्रह) ने स्त्री शक्ति और शौर्य की अमर गाथा को हर भारतीय के कंठ का हार बना दिया।

4. सामाजिक यथार्थ और समावेशी राष्ट्र की संकल्पना: प्रेमचंद युग

एक सशक्त राष्ट्र केवल विदेशी शासन से मुक्ति से नहीं बनता, बल्कि उसे आंतरिक विषमताओं—अस्पृश्यता, निर्धनता, सांप्रदायिकता और कृषक शोषण—से भी मुक्त होना पड़ता है। उपन्यास सम्राट **मुंशी प्रेमचंद** ने साहित्य को समाज सुधार और यथार्थवादी राष्ट्र निर्माण का सशक्त साधन बनाया। सन 1936 में लखनऊ में आयोजित 'प्रगतिशील लेखक संघ' के प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने साहित्य के उद्देश्य को पुनर्परिभाषित किया:

"साहित्यकार का काम केवल महफ़िल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है... हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो—जो हममें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।" — **मुंशी प्रेमचंद** (अध्यक्षीय भाषण, 1936)

प्रेमचंद ने *'गोदान'*, *'रंगभूमि'*, *'कर्मभूमि'* और *'सेवासदन'* जैसे कालजयी उपन्यासों तथा *'कफ़न'* व *'पूस की रात'* जैसी कहानियों में शोषित किसान, मजदूर और नारी की पीड़ा को केंद्र में रखकर नीति-निर्माताओं को सामाजिक न्याय पर आधारित राष्ट्र बनाने की चेतावनी दी।

5. समता, संप्रभुता और जनतंत्र की पहरेदारी

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राष्ट्र निर्माण का स्वरूप बदला। अब चुनौती नवजात लोकतंत्र की रक्षा, विषमताओं का उन्मूलन और सत्ता के विकेंद्रीकरण की थी।

राष्ट्र निर्माण में साहित्य के आयाम

सांस्कृतिक एकता	सामाजिक न्याय	लोकतांत्रिक चेतना
(भक्तिकाल: तुलसी, कबीर)	(यथार्थवाद: प्रेमचंद, निराला)	(दिनकर, दुष्यंत कुमार)

- **रामधारी सिंह 'दिनकर':** राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी ओजस्वी लेखनी से जनतंत्र की शक्ति को स्थापित किया। 1950 के दशक में जब देश नवीन संविधान के साथ आगे बढ़ रहा था, तब उन्होंने *'हुंकार'* और *'परशुराम की प्रतीक्षा'* के माध्यम से सत्ताधीशों को लोक-शक्ति के प्रति सचेत किया:

*"सदियों की ठंडी-बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है।
दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है॥"*

— **रामधारी सिंह 'दिनकर'** (कविता: *जनतंत्र का जन्म*)

- **दुष्यंत कुमार:** स्वतंत्र भारत में जब प्रशासनिक शिथिलता और लोकतांत्रिक संस्थाओं में गिरावट आई, तब दुष्यंत कुमार की ग़ज़लों (*'साये में धूप'*, 1975) ने जनसामान्य की हताशा को संघर्ष में बदला:

"हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए॥"

6. समकालीन परिदृश्य और वैश्विक फलक पर हिंदी

आज 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण का दायरा केवल घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान और सॉफ्ट पावर (Soft Power) को सुदृढ़ करना भी इसमें सम्मिलित है।

- **फणीश्वरनाथ 'रेणु'** (*मैला आँचल*) और **नागार्जुन** ने ग्रामीण अंचल की वास्तविकताओं को मुख्यधारा के विमर्श से जोड़कर क्षेत्रीय अस्मिताओं का राष्ट्रीयकरण किया।

- **हरिशंकर परसाई** और **शरद जोशी** ने व्यंग्य को सामाजिक विसंगतियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सुधारात्मक अस्त्र बनाया।

- समकालीन समय में हिंदी साहित्य विज्ञान, पर्यावरण, स्त्री-विमर्श, दलित व आदिवासी चेतना तथा साइबर युग के प्रश्नों को संबोधित करते हुए एक आधुनिक, संवेदनशील और समावेशी भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान दे रहा है।

प्रख्यात दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन** ने साहित्य की राष्ट्रीय भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा था:

"एक सच्चा राष्ट्र केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उन उच्च विचारों और आदर्शों से बनता है जो उसका साहित्य अपनी संतानों के मन में रोपता है।"

हिंदी साहित्य ने आदिकाल की वीरगाथाओं से लेकर समकालीन कविता तक सदैव देश की धड़कनों को स्वर दिया है। उसने समाज को केवल आईना नहीं दिखाया, बल्कि निराशा के अंधकार में राष्ट्र को दिशा दिखाने वाली मशाल बनकर नेतृत्व किया है। भाषा और साहित्य के इसी समन्वय पर एक अखंड, संप्रभु और मानवीय मूल्यों से समृद्ध भारत का वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है।

* * * * *

राजभाषा से राष्ट्र निर्माण : 10 संकल्प

श्री सुरेंद्र कुमार,
उप प्रबंधक

1. **सरल हिंदी का संकल्प**
   हम सरकारी कामकाज में सरल, सहज और जनसुलभ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे।

2. **अधिकाधिक हिंदी में कार्य का संकल्प**
   हम अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ाएँगे।

3. **जन-जन तक पहुँच का संकल्प**
   हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी सरल हिंदी एवं स्थानीय भाषाओं में जन-जन तक पहुँचे।

4. **तकनीक के साथ हिंदी का संकल्प**
   हम कंप्यूटर, इंटरनेट, ई-ऑफिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल माध्यमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे।

5. **भारतीय भाषाओं के सम्मान का संकल्प**
   हम हिंदी के साथ-साथ भारत की सभी भाषाओं के प्रति सम्मान और समन्वय की भावना को सुदृढ़ करेंगे।

6. **कार्यकुशलता में हिंदी का संकल्प**
   हम हिंदी को केवल भाषा नहीं, बल्कि प्रभावी प्रशासन, पारदर्शिता और कार्यकुशलता का माध्यम बनाएँगे।

7. **नई पीढ़ी को जोड़ने का संकल्प**
   हम युवाओं और नई पीढ़ी को हिंदी के आधुनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी स्वरूप से जोड़ेंगे।

8. **ज्ञान और नवाचार का संकल्प**
   हम हिंदी में ज्ञान, शोध, तकनीकी सामग्री और नवाचार को बढ़ावा देकर ज्ञान को अधिक सुलभ बनाएँगे।

9. **एकता और समावेश का संकल्प**
   हम हिंदी के माध्यम से विविधताओं को जोड़ते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास को मजबूत करेंगे।

10. **राष्ट्र निर्माण में योगदान का संकल्प**
    हम हिंदी को जनसेवा, सुशासन, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त माध्यम बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।

संकल्प-वाक्य
"सरल भाषा से सुशासन, सुशासन से सशक्त नागरिक और सशक्त नागरिकों से सशक्त राष्ट्र—यही है राजभाषा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प।"

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
टोल फ्री नं. 1800110396, ई-मेल: support-nsfdc@nic.in, वेबसाइट: www.nsfdc.nic.in
फ़ोन: 011-22054391-92, 22054394, 22054396

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सुनहरा अवसर

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) की स्थापना दिनांक 08.02.1989 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में की गई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरांत, एनएसएफडीसी नए अधिनियम के तहत वर्तमान में धारा-8 कंपनी (लाभ निरपेक्ष) है। एनएसएफडीसी का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु5.00 लाख तक है।

एनएसएफडीसी की ऋण योजनाएं

योजना	परियोजना लागत	अधिकतम ऋण सीमा परियोजना लागत का 90% तक	प्रति वर्ष ब्याज दर		ऋण पुनर्भुगतान की अवधि	अधिस्थगन अवधि
			सीए	लाभार्थी		
एससीए/ पीएसबी/ आरआरबी के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं						
माइक्रो फाइनेंस योजना	रु1.40 लाख तक	रु1.25 लाख तक	2.5%	6.5%	3 वर्षों के भीतर	3 महीने
मियादी ऋण	> रु1.40 लाख से रु50.00 लाख तक	> रु1.25 लाख से रु45.00 लाख तक	4%	8%	7 वर्षों के भीतर	6 महीने, वृक्षारोपण एवं निर्माण गतिविधियों को छोड़कर जिसके लिए 12 महीने का समय होगा
शिक्षा ऋण						
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	शिक्षा ऋण योजना (भारत एवं विदेश में अध्ययन के लिए) रु40.00 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो		2.5%	6.5%	= शिक्षा ऋण परियोजना-वित्त (एससीए) और पुनर्वित्त दावों (बैंकों) के लिए जहां पुनर्भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है: **12 वर्ष तक।** = शिक्षा ऋण पुनर्वित्त दावों के लिए, जहां ऋण का संवितरण किया जा चुका है और ऋण पुनर्भुगतान प्रारंभ हो चुका है: **10 वर्ष तक।**	= शिक्षा ऋण परियोजना - वित्त (एससीए) और पुनर्वित्त दावों (बैंकों) के लिए जहां पुनर्भुगतान शुरू नहीं हुआ है: **पाठ्यक्रम अवधि + 1 (एक) वर्ष।** = शिक्षा ऋण पुनर्वित्त दावों के लिए, जहां ऋण पहले ही संवितरित किया जा चुका है और ऋण का पुनर्भुगतान शुरू हो चुका है: **6 (छह) महीने तक।**
एनबीएफसी-एमएफआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना						
आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई)	रु1.40 लाख तक	रु1.25 लाख	5%	15%	3 वर्षों के भीतर	3 महीने
सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों/ लघु वित्त बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजना						
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	रु5.00 लाख तक	रु4.50 लाख	5%	13%	5 वर्षों के भीतर	3 महीने
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम						
गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण संस्थान को 100% अनुदान और प्रति प्रशिक्षु रु1500/- प्रतिमाह की दर से वजीफा (Stipend), जिनकी प्रशिक्षण के दौरान उपस्थिति कुल 80% और उससे अधिक तथा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में भोजन और आवास की लागत सामान्य मानदंडों के अनुसार।						

कार्यालयों का पता
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
(आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित कंपनी)

प्रधान कार्यालय
14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092
फोन: 011–22054394, 22054396 फैक्स: 011–22054395
टोल फ्री नंबर: 1800110396
ई–मेल: support&nsfdc/nic-in वेबसाइट: www-nsfdc-nic-in

संपर्क केंद्र	
1.	डॉ. वी.आर. सालकुटे, सहायक महाप्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरी मंजिल, पोडियम ब्लॉक, वी.वी. टॉवर, डॉ. अंबेडकर वीधी, बेंगलुरु – 560 001. फोन नंबर: 080–23465175
2.	श्री एच.एल. थंगा, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, न्यू मार्केट फेज–I, 5वीं मंजिल, हुडको बिल्डिंग, 15–एन, नेल्ली सेन गुप्ता सारनी, कोलकाता–700 087 फोन नंबर: 033–22521395
3.	श्री के.जी. नाथ, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओशिवारा म्हाडा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 5, फ्लैट नंबर 004, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400 053 फोन नंबर: 022–47493581
4.	श्री आर.एन. गोंड, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बी–2, चौथी मंजिल, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010 फ़ोन नंबर : 0522–4346535

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित कंपनी)

(An ISO 9001 : 2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर–1, और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, जिला सेंटर, दिल्ली–110092

14th Floor, Core-1 & 2, Scope Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092

फोन /Phone : 011-22054392, 22054394, 22054396

टोल फ्री नंबर /Toll Free Number : 1800 11 0396

ईमेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट / Website : www.nsfdc.nic.in